उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 371 / VII-3-23 / 41–एम0एस0एम0ई0 / 2016
देहरादूनः दिनांकः 17 मार्च, 2023

अधिसूचना

राज्य में स्टार्ट–अप इकोसिस्टम विकसित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्टेक–होल्डर्स के साथ व्यापक विचार–विमर्श के उपरांत कार्यालय ज्ञाप संख्याः–403(1) / VII-2-18 / 41–एम0एस0एम0ई0 / 2016 दिनांक 22.02.2018 द्वारा प्रख्यापित स्टार्टअप नीति को एतद्द्वारा अतिक्रमित करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से निकटता, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध अनन्य जलवायु परिस्थितियों के साथ, उत्तराखण्ड को खाद्य और कृषि, यात्रा और पर्यटन, शिक्षा, फार्मास्युटिकल, वेलनेस, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ड्रोन, रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए सामरिक हब के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से राज्य की अनुकूल नीतियों, व्यवसाय के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण, मजबूत बुनियादी ढांचा व राज्य को देश में स्टार्टप्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये **''उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2023''(संलग्नक)** प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्याः 371 / VII-3-23 / 41–एम0एस0एम0ई0 / 2016, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल / कुँमाऊ, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, 50 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त (व्यय एवं नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव।

अधिसूचना संख्याः371/VII-3-23/41–एम0एस0एम0ई0/2016, दिनांक 17 मार्च, 2023 का संलग्नक

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2023

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना

तालिका के सूची

पृष्ठभूमि		1–2
उद्देश्य		3
दृष्टि		3
लक्ष्य		3
नीति की वैधता		3
1.	परिभाषा	3
1.1	इकाई का विधिक अस्तित्व	3
1.2	स्टार्टप्स	4
1.3	ग्रास रूट इनोवेशन या इनोवेशन/ग्रामीण प्रभाव के साथ स्टार्टअप	4
1.4	असंयत प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे स्टार्टअप	5
1.5	महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप	5
1.6	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर द्वारा स्थापित स्टार्टअप	6
1.7	छात्र उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप	6
1.8	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप	6
1.9	टर्नओवर	7
1.10	स्टार्टअप के चरण	7
1.11	नवाचार/नवोन्मेष	7
1.12	इन्क्यूबेशन सेंटर या इनक्यूबेटर	7
1.13	मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर	8
1.14	लीड इन्क्यूबेटर	8
1.15	मेन्टर्स	9
1.16	विषय विशेषज्ञ	9
1.17	राज्य सरकार	9
1.18	राज्य सरकार की अभिकरण (एजेंसियां)	9
1.19	अकादमी संस्थान	9
1.20	एक्सलरेटर	10
1.21	एंजेल नेटवर्क	10
1.22	उद्यम पूंजी (वेंचर केपिटल)	10
1.23	उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल	10

1.24	राज्य नोडल एजेंसी	10
1.25	उत्तराखण्ड स्टार्टअप प्रकोष्ठ (सेल)	11
1.26	प्रोत्साहन की मान्यता और संवितरण के लिए टास्क फोर्स या समिति	11
1.27	सीमित खण्ड	11
2.	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन	12
2.1	मासिक भत्ता	12
2.2	सीड फण्ड	12
2.3	बौद्धिक संपदा अधिकार	12
2.4	एमएसएमई नीति के अधीन प्रोत्साहन	13
2.5	प्री–इन्क्यूबेशन सपोर्ट	14
2.6	इन्क्यूबेशन सपोर्ट	14
2.7	औद्योगिक क्षेत्र/आईटी पार्क/विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि का प्रावधान	14
2.8	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर	14
2.9	पायलट परियोजनायें	15
2.10	एक्सलरेशन प्रोग्राम	15
2.11	बाहरी फण्डिंग तक पहुंच	15
2.12	ईज ऑफ डुईंग बिजनेस	16
2.13	सरकारी खरीद	16
2.14	साझा सुविधाओं तक पहुंच	17
2.15	निःस्वार्थ सेवाएं	17
2.16	कुशल मानव संसाधन	17
2.17	मुद्दों या शिकायतों का समाधान	17
2.18	नीतियों और योजनाओं पर सार्वजनिक परामर्श	17
3.	इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रोत्साहन	19
3.1	लीड इनक्यूबेटर	19
3.2	इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए पूंजीगत अनुदान	19
3.3	इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए प्रचालन अनुदान	19
3.4	शैक्षणिक संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटर	20

4.	शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देना	21
4.1	उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई–सेल)	21
4.2	छात्र स्टार्टअप उद्यमी	21
4.3	उद्यमिता पर पाठ्यक्रम	21
4.4	व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) को पाठ्यक्रम में शामिल करना	22
4.5	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	22
4.6	स्टार्टअप के सलाहकार के रूप में संकाय	22
4.7	उद्योग और शिक्षा के बीच साझेदारी	22
4.8	शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार का व्यावसायीकरण	23
5.	सामान्य प्रावधान	24
5.1	संस्थागत समर्थन	24
5.2	फैब लैब या मेकर्स लैब या प्रोटोटाइप लैब	24
5.3	फ्लैगशिप कार्यक्रम	24
5.4	संवेदीकरण कार्यक्रम	25
5.5	फंड्स ऑफ फंड्स या वेंचर फंड	25
5.6	एंजेल नेटवर्क की स्थापना	25
5.7	राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ	25
5.8	हैकथॉन या आइडिया चैलेंज	26
5.9	महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना	26
5.10	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	27
5.11	जिला नवाचार परिषद	27
5.12	जिला नवाचार कार्यक्रम	28
5.13	बाजार में पहुंच के लिए कॉर्पोरेट इनोवेशन प्रोग्राम (सीआईपी)	28
5.14	नीति की समीक्षा	28
5.15	इस नीति के अधीन प्रोत्साहन और लाभों की अनुमन्यता	28

पृष्ठभूमिः

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार भारत विश्व में 12–15 प्रतिशत तक की स्थिर वार्षिक वृद्धि के साथ अग्रणी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनने की दहलीज पर है। वर्ष 2021–22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022 की अवधि में देश में 14,000 स्टार्टप्स को मान्यता प्रदान की गयी है और वर्तमान में 70,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं। इनमें से लगभग 8,900 – 9,300 प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप हैं, अकेले वर्ष 2021–22 में 1300 नए तकनीकी स्टार्टअप की शुरूआत हुई है, इसका अर्थ है कि देश में प्रतिदिन 2–3 तकनीकी स्टार्टअप जनित हो रहे हैं। वर्ष 2011 में देश का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप का जन्म होने से लेकर वर्ष 2022 तक भारत में यूनिकॉर्न का शतक पूरा हो गया है। यह भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक दीर्घकालिक और घटनाओं से भरी हुई यात्रा रही है। विश्व स्तर पर स्टार्टप्स में धन जुटाने और निवेश शिखर पर है। वर्ष 2022 के प्रारम्भ से जुलाई 2022 तक, भारतवर्ष में 19 नए यूनिकॉर्न की शुरूआत हो चुकी है और अब तक यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाले भारतीय टेक स्टार्टअप्स की कुल संख्या 105 हो गई है। वित्त पोषण एवं मूल्यांकन गतिविधियों में वृद्धि के साथ, डेकाकोर्न सूची में स्टार्टअप्स की संख्या भी पूरे देश में बढ़ रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से निकटता, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध अनन्य जलवायु परिस्थितियों के साथ, उत्तराखण्ड को खाद्य और कृषि, यात्रा और पर्यटन, शिक्षा, फार्मास्युटिकल, वेलनेस, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, सास, ड्रोन, रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए रणनीतिक हब माना जा सकता है। राज्य की अनुकूल नीतियों, व्यवसाय के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण, मजबूत बुनियादी ढांचा, राज्य को देश में स्टार्टप्स के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाता है। जून 2022 के अंत तक उत्तराखण्ड राज्य में 700 से अधिक स्टार्टप्स स्थापित हो चुके हैं, जिसकी वर्ष 2018 के अंत तक संख्या मात्र 100 थी। उत्तराखण्ड सरकार के केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप 2022 की पहली तिमाही के अंत तक राज्य के लगभग तेरह (13) स्टार्टअप उल्लेखनीय एंजेल निवेशकों, उद्यम पूंजी फर्मों और अन्य निजी निवेशकों से धन जुटाने में सफल रहे हैं। वर्ष 2022 के मध्य तक, राज्य 11 इन्क्यूबेशन सेन्टर्स में 55,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र को इन्क्यूबेशन क्षेत्र में जोड़ने में सक्षम हुआ है, जिसमें स्टार्टअप को तकनीकी और साझा सेवाएं प्रदान करने के लिए 190 से अधिक पंजीकृत सलाहकार, 20 से अधिक एंजेल निवेशक और वेंचर केपिटलिस्ट 13 भागीदार संगठनों के साथ ऑन–बोर्ड हुए हैं।

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में, उत्तराखण्ड को "एसपायरिंग लीडर" और "नियामक चैंपियन" के रूप में मान्यता दी गई थी। उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति की घोषणा के बाद किए गए रणनीतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए इसे "एक संस्थागत चैंपियन" और "एक क्षमता निर्माण पायनियर" के रूप में मान्यता दी गई। वर्ष 2021 में स्टार्टअप इंडिया और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा घोषित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तराखण्ड को **"लीडर"** के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स पर केंद्रित रणनीतिक पहलों पर उत्तराखण्ड सरकार को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए वर्ष 2020 में स्टार्टअप्स, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह भी बनाया है। स्टार्टअप उत्तराखण्ड में बीस (20) से अधिक विशेष कार्यक्रम हैं, जो इच्छुक उद्यमियों, इन्क्यूबेटरों, निवेशकों, महिला उद्यमियों, सरकारी अधिकारियों और राज्य भर के अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारक (प्लेयर्स) के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, सलाह और सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार नवोन्मेषी विचारों की पहचान और मान्यता के लिए स्टार्टअप बूट कैंप, ग्रैंड चैलेंज, हैकथॉन आदि

का आयोजन करती है। राज्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर यात्राओं का भी आयोजन करता है।

वर्तमान प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट है कि स्टार्टअप दुनिया भर में नवाचारों का केंद्र बन गए हैं। ये न केवल जटिल समस्याओं के अभिनव समाधानों को डिजाइन करने और विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वरन् रोजगार के स्वरूप में सुधार, रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्यों के लिए धन सृजन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टार्टअप परिवर्तन सम्बन्धी तकनीक से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और समय के साथ नए उद्योग सृजित करते हैं। स्टार्टअप्स को उपयुक्त आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्रदान करने वाले देशों ने देश के लिए उनके द्वारा बनाए गए सकारात्मक प्रभावों को देखा है। इस प्रकार, उत्तराखण्ड राज्य में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को पोषित करने के लिए, भविष्य की नीतियों, योजनाओं और समर्थन प्रणालियों के साथ स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स, निवेशकों, संरक्षकों और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य सभी प्रमुख हितधारकों का समर्थन करना आवश्यक है। यह राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक प्रयास और कार्य योजना बनाने की आवश्यकता की मांग करता है।

विश्व में कोविड महामारी के बाद आर्थिक वातावरण में भारी बदलाव के मद्देनजर, घरेलू विकसित स्टार्टअप उद्यमों का समर्थन करने के लिए अनुकरणीय उपायों को डिजाइन करना अपरिहार्य हो गया है। परिणामस्वरूप, राज्य की स्टार्टअप नीति पर फिर से विचार करना और उत्तराखंड में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अग्रिम विकास हेतु समर्थन करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करना महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार, जटिल सामाजिक समस्याओं को हल करने में नवाचारों और उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पूरा करने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों का समर्थन करने के उद्देश्य से, "उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2022" प्रख्यापित की जा रही है।

उद्देश्यः

इस नीति का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र विकसित कर नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करना है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढांचे के निर्माण, इन्क्यूबेशन और परामर्शी नेटवर्क की स्थापना, धन तथा बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाने, सार्वजनिक खरीद तथा व्यापार के अनुकूल एवं नियामक वातावरण सृजित करने के साथ–साथ राज्य में रोजगार सृजन और धनोपार्जन के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टिः

एक अग्रणी स्टार्टअप गन्तव्य का निर्माण कर उत्तराखण्ड को नवोन्मेषी, इच्छुक उद्यमियों, इन्क्यूबेटर्स और पारिस्थितिक तंत्र के हितधारकों (प्लेयर्स) के लिए रणनीतिक स्टार्टअप हब के रूप में प्रतिस्थापित करना।

लक्ष्यः

1. आगामी 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी संचालित उद्यमों सहित 1000 स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देना।
2. नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी, कार्यविधि या प्रक्रियाओं, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी, सामाजिक प्रभाव या स्थिरता पर काम करने वाले स्टार्टअप उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना, जो जटिल समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रोजगार सृजन और धनोत्सर्जन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करते हैं।
3. प्रदेश में नवोन्मेषकों, स्टार्टअप्स, इच्छुक छात्र उद्यमियों, महिला उद्यमियों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं की स्थापना करना।
4. प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इन्क्यूबेशन सेन्टर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित करना।
5. राज्य में स्टार्टअप उद्यमों के विकास के लिए पूंजी, प्रमुख बुनियादी ढांचे एवं अन्य प्रमुख संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करना।
6. उद्यमशीलता, नवाचारों एवं इसके व्यावसायीकरण तथा प्रौद्योगिकी उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।
7. अनुकूल वातावरण का सृजन कर स्टार्टअप उद्यमों का एक अत्यधिक सफल उद्यम के रूप में विकास या रूपान्तरण।

नीति की वैधताः

यह नीति इसकी अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होकर 5 वर्ष या नई नीति लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, प्रभावी रहेगी।

1. परिभाषाः

1.1 विधिक अस्तित्व (इस नीति के अधीन स्टार्टअप्स को मान्यता देने के उद्देश्य से)

विधिक रूप से एक इकाई से अर्थ भारत में निगमित निम्नांकित में से किसी एक से है:

i. कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या

ii. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत एक सीमित देयता भागीदारी फर्म या

iii. साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म।

1.2 स्टार्टप्सः

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को "स्टार्टअप" माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हैः

ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में होः

(i) यह एक ऐसी विधिक अस्तित्व वाली इकाई होनी चाहिए, जैसा कि खंड 1 के उप–खंड 1.1 में परिभाषित किया गया है; और

(ii) विधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं संचालन की अवधि इसके निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए; और

(iii) निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विधिक इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ हैं; और

(iv) किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और यह पारिवारिक व्यवसाय या समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए और

(v) इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, या यदि यह रोजगार सृजन या धनोत्सर्जन की उच्च क्षमता वाला एक मापनीय व्यवसाय मॉडल हो; या

(vi) समय–समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टप्स के मानदंडों के अनुसार

ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका भारत के अन्य राज्यों में पंजीकृत कार्यालय है

इस नीति के उप खंड 1.2 के अधीन परिभाषित मानदंडों के अतिरिक्तः

(i) इकाई का उत्तराखण्ड राज्य में भी कार्यालय होना चाहिए और इस कार्यालय के माध्यम से ही उत्तराखण्ड में व्यवसाय का महत्वपूर्ण संचालन होना चाहिए।

(ii) मान्यता की पूर्ण अवधि के दौरान इकाई को अपने समग्र पूर्णकालिक कार्यबल का न्यूनतम 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड के अधिवास वाले में से नियोजित किया जाएगा (इस कार्यबल में संस्थापक, सह–संस्थापक, सहायक कर्मचारी, कंपनी पेरोल पर काम करने वाले कुशल कर्मचारी शामिल होंगे)।

1.3 ग्रास रूट इनोवेशन या इनोवेशन/ग्रामीण प्रभाव के साथ स्टार्टअप

ग्रामीण प्रभाव वाले ग्रास रूट नवोन्मेष या नवोन्मेषी/स्टार्टअप को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगाः

(i) उत्पादों या सेवाओं का निर्माण या विकास या सुधार जो ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं या चुनौतियों या मुद्दों का समाधान कर सकते हैं या

(ii) उत्पाद या सेवाओं का विकास या सुधार जो मापनीय है और जो धनोत्सर्जन कर सकता है और ग्रामीण या पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करता है।

ऐसे स्टार्टअप, जो उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में वर्गीकृत

श्रेणी क व ख से आच्छादित क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं और कुछ नवीन साधनों पर काम कर रहे हैं तथा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों, मुद्दों या समस्याओं का समाधान करने या उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान करने के तरीकों को ग्रास रूट नवोन्मेषी या ग्रामीण प्रभाव वाले नवाचारों की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप के रूप में माने जाएँगे।

1.4 असंयत प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे स्टार्टअप

असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टप्स की अर्हता निम्नलिखित प्रकार से है:

(i) **भविष्य की प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे स्टार्टअप्सः** स्टार्टअप जो समाज या देश में विद्यमान समस्या या चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), ड्रोन, रोबोटिक्स, डिफेंस, एयरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिनटेक, मेडटेक, हेल्थटेक जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं।

(ii) **नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहे स्टार्टअपः** सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि जैसे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों या समाधानों का उपयोग करके ऊर्जा के नवीकरणीय और स्थायी स्रोत के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करने वाले स्टार्टअप।

(iii) **जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे स्टार्टअपः** पर्यावरण के अनुकूल और/या जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों/समाधानों के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऑफसेट करने या क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करते हैं।

(iv) **सर्कुलर इकोनॉमी पर काम कर रहा स्टार्टअपः** सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में कार्य करने वाले स्टार्टअप्सः

(क) **री–यूजः** वस्त्रों का संग्रहण, सर्क्युलर फैशन, सैकेण्ड हैण्ड प्रोडक्ट्स आदि।

(ख) **रिसाइकिलः** रिसाइकिल्ड प्लास्टिक्स, बोतलें, रिसाइकिल्ड कच्चेमाल से उत्पादों का निर्माण आदि।

(ग) **रिड्यूसः** धारणीय सामग्री के साथ पैकेजिंग, खाद्य कटलरी आदि।

(घ) **रिमूवः** शहरी खेती, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, कार्बन कैप्चरिंग आदि।

(v) **स्थिरता पर काम कर रहा स्टार्टअपः** अगली पीढ़ी की अत्याधुनिक तकनीकों, प्रक्रियाओं या समाधानों के साथ हरित और टिकाऊ प्रथाओं पर काम करने वाला एक ऐसा स्टार्टअप, जो दुनिया को बड़े पैमाने पर वर्षों तक अत्यधिक उपयोग से उबरने में सक्षम बना रहा है, जैसे कि;

(क) मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार।

(ख) लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण।

(ग) समुद्र की जैव विविधता का संरक्षण।

(घ) वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी।

(ङ) जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी।

(च) विशेष क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण और संरक्षण।

(छ) आपदा प्रबंधन आदि।

1.5 महिला उद्यमियों द्वारा स्टार्टअपः

एक विधिक इकाई को महिला स्टार्टअप के रूप में माना जाएगा; यदि

(i) इकाई की स्थापना एक महिला उद्यमी द्वारा की गई है; और

(ii) विधिक इकाई में महिला संस्थापकों की इक्विटी होल्डिंग और/या भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं है; और

(iii) इकाई में महिला सक्रिय भागीदार या निदेशक है और कंपनी में दिन–प्रतिदिन के कार्यों को सक्रिय रूप से देख रही है।

1.6 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर द्वारा स्थापित स्टार्टअपः

विधिक इकाई को **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर द्वारा स्थापित** स्टार्टअप के रूप में माना जाएगा, यदि

(i) इकाई की स्थापना **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर** द्वारा की गई हो;

(ii) **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर द्वारा** विधिक अस्तित्व वाली इकाई में इक्विटी होल्डिंग और/या साझेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए; और

(iii) विधिक इकाई में **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर** एक सक्रिय भागीदार या निदेशक हो और इकाई के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को सक्रिय रूप से देख रहा हो।

1.7 छात्र उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअपः

निम्नलिखित में पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति या छात्र;

(i) स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई); या

(ii) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उच्च शिक्षा (एचईआई), तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा या आयुष का कोई भी संस्थान; या

(iii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान;

(iv) कोई भी मुक्त विश्वविद्यालय और/या राज्य या केंद्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय; या

(v) कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय जो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो

ऐसे अध्ययनरत छात्र, जो संबंधित बोर्ड, संस्थान और/या विश्वविद्यालयों की उचित अनुमति से नवाचार द्वारा (उत्पाद, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी या व्यवसाय में नवाचार) उद्यमी के रूप में उद्यम का संचालन कर रहे हों।

1.8 मान्यता प्राप्त स्टार्टअपः

(i) खंड 1 के उप–खंड 1.2 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली कोई भी कानूनी इकाई और जिसे उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन स्थापित स्टार्टअप टास्क फोर्स द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गयी हो, को मान्यता प्राप्त स्टार्टअप माना

जाएगा।

(ii) उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन गठित स्टार्टअप टास्क फोर्स से अनुमोदित ऐसे स्टार्टप्स, जिन्हें छात्र उद्यमियों द्वारा स्थापित किया गया हो, को मान्यता प्राप्त स्टार्टअप माना जाएगा।

(iii) उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2018 के अधीन स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान को मान्यता प्राप्त स्टार्टअप माना जाएगा।

1.9 टर्नओवरः

टर्नओवर से, कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित टर्नओवर अभिप्रेत है।

1.10 स्टार्टअप के चरणः

1.10.1 **आईडियेशन चरणः**

आइडिया स्टेज स्टार्टअप के जीवनचक्र में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है, जिसमें अवधारणा की सफलता/विफलता का मूल्यांकन करने के लिए स्टार्टअप आइडिया का व्यवहार्यता विश्लेषण किया जाता है।

1.10.2 **प्रोटोटाइपिंग या न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) चरणः**

प्रोटोटाइपिंग या एमवीपी चरण एक स्टार्टअप के जीवनचक्र में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है, जिसमें उत्पाद या प्रक्रिया या सेवा की अवधारणा को भौतिक रूप में परिवर्तित किया जाता है और जिसे सीमित क्षमता में उत्पादित और वितरित किया जा सकता है तथा सफलता और आवश्यकता पर इसे बढ़ाया जा सकता है।

1.10.3 **स्केल–अप चरणः**

स्केल–अप चरण एक स्टार्टअप के जीवनचक्र में एक अभिन्न चरण को संदर्भित करता है, जिसमें कंपनी मान्य/अंतिम उत्पाद, प्रक्रिया या सेवाओं के साथ तैयार होती है तथा बड़े पैमाने पर इसका व्यावसायीकरण करती है।

1.11 नवाचार/नवोन्मेषः

आविष्कार नवाचार का आधार हैं। एक आविष्कार तकनीकी समस्या का एक नया समाधान है, जिसे पेटेंट के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है।

नवोन्मेष (इनोवेशन) से कुछ नया करना जो उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा को बेहतर बनाता है, अभिप्रेत है। नवोन्मेष में संसाधनों से अधिक या भिन्न मूल्य प्राप्त करने में सूचना, कल्पना और पहल का उपयोग शामिल है। बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के अधीन नवाचारों को संरक्षित किया जा सकता है।

1.12 इन्क्यूबेशन सेंटर या इनक्यूबेटरः

स्टार्टअप कंपनियों को प्रारंभिक अवस्था में समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया एक संगठन, जो उन्हें व्यापार समर्थन संसाधनों और सुविधाओं, जैसे सह–कार्य स्थान, प्रोटोटाइप प्रयोगशाला और उत्पादों या सेवाओं के विकास के लिए उपकरणों के माध्यम से एक मापनीय बिजनेस मॉडल के साथ अभिनव उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवा को विकसित करने में मदद करता है। इन्क्यूबेशन सेंटर हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीड फंडिंग, बिजनेस मेंटरिंग और कोचिंग, साझा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें अकाउंटिंग, कानूनी सेवाएं, मानव संसाधन, कॉर्पोरेट कनेक्ट, उद्योग परामर्शदाता और निवेशक के साथ जुड़ना, एक्सलरेशन कार्यक्रम शामिल होंगे और यह स्टार्टअप्स

के विकास के लिए आवश्यक अन्य सहायता के साथ–साथ नेटवर्किंग अवसर प्रदान करेगा।

इस नीति के प्रयोजन के लिए, एक इन्क्यूबेशन सेन्टर का अर्थ होगाः–

- भारत सरकार के विभागों, एजेंसियों या निकायों द्वारा नीतियों या योजनाओं के अधीन, वित्त पोषित या पंजीकृत कोई भी संस्था जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर, नीति आयोग के अधीन अटल इनक्यूबेशन सेंटर आदि; या
- भारत में किसी अन्य राज्य सरकार की नीतियों या योजनाओं के अधीन स्थापित कोई भी विद्यमान इन्क्यूबेशन सेन्टर, जिसकी उत्तराखण्ड में पूर्ण कार्यात्मक सुविधाएं हैं; या
- इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना के लिए उत्तराखण्ड में पंजीकृत कोई भी नव स्थापित विधिक अस्तित्व वाली इकाई,

जिसका एकमात्र उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

1.12.1 इस नीति के प्रयोजन के लिए, एक इन्क्यूबेशन सेन्टर एक अलग विधिक अस्तित्व वाली इकाई होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है और जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के तहत पंजीकृत होः

(i) एक सोसायटी (सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन); या

(ii) एक धारा–8 कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन); या

(iii) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन); या

(iv) एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन); या

(v) एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास (ट्रस्ट) (भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन)

1.13 मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटरः

खंड 1 के उप–खंड 1.11 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली कोई भी स्वतन्त्र विधिक अस्तित्व वाली इकाई और जिसे उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल द्वारा इनक्यूबेटर के रूप में मान्यता प्रदान की गयी हो, को मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर माना जाएगा।

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2018 के अधीन इनक्यूबेटर के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर माना जाएगा।

1.14 लीड इन्क्यूबेटरः

राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि उत्तराखण्ड में को–वर्किंग स्पेस, कैपिटल इक्विपमेंट और ऑपरेटिंग सुविधाओं के साथ प्रोटोटाइप लैब के मामले में आवश्यक भौतिक बुनियादी ढाँचे के साथ विश्व स्तरीय इन्क्यूबेशन सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है। इन्क्यूबेशन सुविधा राज्य में नवाचार संचालित स्टार्टअप उद्यमों की स्थापना के लिए आवश्यक अन्य प्रासंगिक घटकों के साथ–साथ उत्पाद विकास और व्यवसाय नियोजन सहायता, सीड कैपिटल, विषय वस्तु विशेषज्ञों, कॉरपोरेट्स, प्रौद्योगिकी सहायता प्रदाताओं, उद्योग निकायों, त्वरण कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों तक पहुंच और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी प्रदान करेगी।

राज्य सरकार प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। राज्य में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने

के लिए एक "लीड इनक्यूबेटर" स्थापित करने तथा मापनीय और धारणीय उद्यम के निर्माण के लिए अभिनव स्टार्टअप व्यवसायों का पोषण करने का भी लक्ष्य होगा। "लीड इन्क्यूबेटर" पूरे प्रदेश में स्थापित अन्य मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटरों के लिए हब के रूप में कार्य करेगा।

1.15 मेन्टर्सः

मेन्टर एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है, जो अपने संचालन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ–साथ विषय की पूर्ण जानकारी रखता है तथा उसे इच्छुक उद्यमियों को मार्गदर्शन, सलाह और प्रशिक्षित करने के लिए वास्तविक दुनिया का व्यावहारिक अनुभव होता है।

1.16 विषय विशेषज्ञः

सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक प्रमाणित पेशेवर/व्यवसायी होता है, जिसके पास डोमेन विशेषज्ञता, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट कौशल या ज्ञान होता है और अपने क्षेत्र में काम करने का व्यापक व्यावहारिक अनुभव होता है।

1.17 राज्य सरकारः

इस नीति के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार का अर्थ उत्तराखण्ड सरकार से है।

1.18 राज्य सरकार के अभिकरण (एजेंसियां):

इस नीति के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार की एजेंसियों में विभागों, संस्थानों, एजेंसियों, प्राधिकरणों, बोर्डों या किसी भी अन्य निकाय शामिल होंगे, जिसमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अधीन स्थापित या उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक उपक्रम, संस्था, समिति या न्यास (ट्रस्ट) हैं तथा इसमें स्थानीय शहरी निकाय भी सम्मिलित होंगे।

1.19 अकादमी संस्थानः

इस नीति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थान भी इसमें सम्मिलित होंगे, किन्तु यह इन तक ही सीमित नहीं होगाः–

(i) स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई); या

(ii) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उच्च शिक्षा (एचईआई), तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा या आयुष का कोई भी संस्थान; या

(iii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान;

(iv) किसी राज्य या केंद्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित कोई भी मुक्त विश्वविद्यालय और/या विश्वविद्यालय; या

(v) कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय जो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

1.20 एक्सलरेटरः

एस्केलेटर एक ऐसा संगठन या कार्यक्रम है जो स्टार्टअप्स को अपने ग्राहक आधार बढ़ाने, अधिक लाभ कमाने, फंडिंग के लिए तैयार करने और अपने संगठन को पेशेवर बनाने में मदद करने के लिए सलाह, प्रशिक्षण, संसाधन और नेटवर्किंग जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके नए स्टार्टअप के तेजी से विकास को सक्षम बनाता है।

1.21 एंजेल नेटवर्कः

एक एंजल निवेशक (निजी निवेशक, सीड निवेशक या एंजल फंडर के रूप में भी जाना जाता है)

एक उच्च निवल मूल्य वाला व्यक्ति है जो शुरुआती चरण के स्टार्टअप या उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, आमतौर पर कंपनी में इक्विटी के रूप में स्वामित्व के बदले में।

एंजेल नेटवर्क एंजेल निवेशकों का एक समूह है, जो अपने निवेश को एक साथ रखता है, जिसे प्रारम्भिक चरण के स्टार्टअप में निवेश करने के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाता है।

1.22 उद्यम पूंजी (वेंचर केपिटल):

वेंचर केपिटल इक्विटी फंडिंग का एक रूप है, जिसमें आम तौर पर उद्यम पूंजी फर्मों द्वारा शुरू की गई परियोजना के महत्वपूर्ण मूल्यांकन पर उच्च विकास क्षमता वाले स्टार्टप्स में निवेश किया जाता है। यहां पर इक्विटी शेयरहोल्डिंग के बदले में आम तौर पर पूंजी का निवेश किया जाता है।

1.23 उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिलः

उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल एक शासी निकाय होगी, जिसमें उत्तराखण्ड सरकार, इन्क्यूबेशन सेन्टर, उद्योग निकाय, शैक्षणिक संस्थान, कॉर्पोरेट, विषय विशेषज्ञ, राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान, वेंचर कैपिटल फर्म या किसी अन्य संगठन के सदस्य शामिल होंगे, जिनके पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है, जो राज्य सरकार को स्टार्टअप नीति, राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित रणनीतिक पहल से संबंधित मामलों पर सलाह देता है।

1.24 राज्य नोडल एजेंसीः

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2023 में निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने और उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर केंद्रित गतिविधियों की देखभाल के लिए उद्योग निदेशालय, एमएसएमई विभाग राज्य नोडल एजेंसी होगा।

1.25 उत्तराखण्ड स्टार्टअप प्रकोष्ठ (सेल):

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति के अधीन होने वाले दैनिक कार्यों और गतिविधियों के संचालन एवं देखभाल के लिए एक स्टार्टअप सेल की स्थापना की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पेशेवर फर्मों के सलाहकारों के साथ एक समर्पित स्टार्टअप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) को राज्य नोडल एजेंसी और स्टार्टअप सेल का समर्थन करने के लिए ऑन–बोर्ड किया जाएगा।

1.26 प्रोत्साहन की मान्यता और संवितरण के लिए टास्क फोर्स या समितिः

राज्य नोडल एजेंसी राज्य सरकार के विभागों, उद्यमियों, निवेशकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग निकायों, विषय वस्तु विशेषज्ञों आदि के सदस्यों को शामिल करते हुए मान्यता देने और प्रोत्साहन धनराशि के वितरण के लिए एक टास्क फोर्स या समिति की स्थापना करेगी।

टास्क फोर्स या समिति निम्नलिखित से संबंधित निर्णय लेगीः

(क) स्टार्टअप के रूप में मान्यता और वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच और मूल्यांकन।

(ख) मान्यता और वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को मान्यता या प्रोत्साहन प्रदान करना।

(ग) कोई अन्य निर्णय, जैसा कि उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा।

1.27 सीमित खण्डः

1.27.1 उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2018 के अधीन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, इनक्यूबेटर और नोडल

एजेंसियां केवल दिनांक 21 फरवरी, 2025 तक उक्त नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा करने की पात्र होंगी।

1.27.2 स्टार्टअप और इनक्यूबेटर जिन्होंने "उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2018" के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त किये हैं, वह "उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2022" के अधीन समान घटकों पर प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा करने के लिए अर्ह नहीं होंगे।

1.27.3 "उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति, 2022" के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले स्टार्टअप और इनक्यूबेटर उत्तराखण्ड सरकार की किसी भी अन्य नीतियों या योजनाओं में समान घटकों और/या श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन दावा करने के अर्ह नहीं होंगे।

2. मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहनः

वित्तीय प्रोत्साहनः

वित्तीय प्रोत्साहन किश्तों में केवल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को उचित मूल्यांकन और उनके स्टार्टअप आइडिया के मूल्यांकन के बाद, स्टार्टप्स की स्थापना के बाद से हुई प्रगति तथा स्टार्टप्स द्वारा विभिन्न चरणों में प्रस्तुत वित्त पोषण की आवश्यकता के बाद स्वीकृत किये जाएंगे।

2.1 मासिक भत्ताः

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप या छात्र उद्यमियों के स्टार्टअप, जिनकी परियोजना को टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है, रू. 15,000 प्रतिमाह प्रति स्टार्टअप का मासिक भत्ता पाने के लिए अर्ह होंगे।

महिला उद्यमियों के स्वामित्व में या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या स्टार्टअप के किसी व्यक्ति द्वारा, जो ग्रासरूट पर नवाचारों की दिशा में काम कर रहा है या असंयत प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे ग्रामीण प्रभाव वाले किसी भी नवोन्मेषी स्टार्टअप रू. 20,000 प्रतिमाह/प्रति स्टार्टअप मासिक भत्ते के रूप में देय होगा।

मासिक भत्ता एक बार की सहायता होगी, जो स्टार्टअप्स को आइडिया के स्तर पर अधिकतम बारह (12) महीने की अवधि के लिए दी जाएगी।

2.2 सीड फण्डः

एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो विचार अवस्था या प्रोटोटाइप या एमवीपी (न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद) चरण में है, 10 लाख रुपये तक की एकमुश्त सीड फंडिंग सहायता के लिए पात्र होगा।

महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाला स्टार्टअप या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, ट्रांसजेंडर या ग्रामीण प्रभाव वाले नवाचारों की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप के मामले में, 12. 5 लाख रुपये तक सीड फंडिंग सहायता दी जायेगी।

असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टअप को 2.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सीड फंडिंग प्रदान की जाएगी।

2.3 बौद्धिक संपदा अधिकारः

भारत सरकार के विभागों द्वारा बनाई गई नीतियों/योजनाओं के तहत आईपीआर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहन, लाभ और/या समर्थन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सभी स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा।

अन्य मामलों में, स्टार्टअप आईपीआर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

पेटेंट:

भारतीय पेटेंट के लिए व्यय की गई राशि की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू. 1.0 लाख (प्रति पेटेंट) तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु रू. 5.0 लाख (प्रति पेटेंट) प्रत्येक स्टार्टअप को स्वीकृत किया जा सकेगा। पेटेंट पर प्रतिपूर्ति सहायता के लिए प्रायर आर्ट सर्च, गवर्नमेंट फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, मेंटेनेंस शुल्क या किसी अन्य कानूनी शुल्क के लिए भुगतान किए गए व्यय को गणना में लिया जाएगा

व्यय की प्रतिपूर्ति दो चरणों में की जाएगी

(i) पेटेंट आवेदन दाखिल करने के बाद 75 प्रतिशत और

(ii) पेटेंट के अनुदान के समय 25 प्रतिशत

यह सहायता उस दो कार्यशील पेटेंट दाखिल करने के लिए अनुमन्य होगी, जिस क्षेत्र में स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई है।

ट्रेडमार्क:

ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने पर रू 10,000 रुपये (प्रति ट्रेडमार्क) तक की प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी। ट्रेडमार्क अन्वेषण, सरकारी फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, रखरखाव शुल्क या ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने या किसी अन्य कानूनी सहायता के लिए भुगतान किए गए शुल्क पर किये गये व्यय पर ही प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी।

जिस क्षेत्र में स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई है, उसके नाम पर अधिकतम दो ट्रेडमार्क हेतु किये गये व्यय पर प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी।

औद्योगिक डिज़ाइन:

औद्योगिक डिज़ाइन आवेदन जमा करने के लिए 10,000 रुपये (प्रति औद्योगिक डिजाइन) तक की प्रतिपूर्ति। यह प्रतिपूर्ति आवेदन जमा करने के लिए सरकारी फाइलिंग शुल्क, अटार्नी शुल्क, रखरखाव शुल्क या किसी अन्य कानूनी शुल्क के लिए भुगतान की गयी धनराशि पर ही अनुमन्य होगी।

जिस स्टार्टअप के लिए मान्यता प्राप्त की गई है, उसके नाम पर अधिकतम दो डिजाइन हेतु किये गये व्यय पर प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी।

2.4 एमएसएमई नीति के अधीन प्रोत्साहन:

उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य नीतियों या योजनाओं के तहत पात्र स्टार्टअप संबंधित नीतियों और/या योजनाओं के तहत निर्दिष्ट मानदंड और उचित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि, उत्तराखण्ड सरकार की किसी भी अन्य नीतियों या योजनाओं के अधीन स्टार्टअप समान घटकों और/या श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

2.5 प्री–इन्क्यूबेशन सपोर्टः

राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अभिज्ञापित असंयत क्षेत्र में काम करने वाले नवोन्मेषक या महत्त्वाकांक्षी उद्यमी या महिला/छात्र उद्यमी या ग्रास रूट प्रभाव वाले स्टार्टअप या नवप्रवर्तक/उद्यमी उत्पाद विकास हेतु मेंटरिंग तथा हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट पर एक बार निःशुल्क इनक्यूबेशन सहायता के लिए पात्र होंगे।

समय–समय पर राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अभिज्ञापित प्रतिष्ठित इन्क्यूबेशन सेन्टर या एक्सलरेटर के माध्यम से पूर्व–इन्क्यूबेशन कार्यक्रम आयोजित किये जाएगें। प्री–इन्क्यूबेशन सपोर्ट पर चार (4) माह की अवधि के लिए अधिकतम एक बार सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा प्री–इनक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए रु. 10,000 तक प्रति इनक्यूबेटी लागत वहन की जाएगी।

2.6 इन्क्यूबेशन सपोर्टः

सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप राज्य नोडल एजेंसी के अनुमोदन के अधीन किसी भी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में 12 महीने की अवधि के लिए एकमुश्त निःशुल्क इन्क्यूबेशन सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टअप को अतिरिक्त 6 महीने के लिए इन्क्यूबेशन सहायता प्रदान की जाएगी।

मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर में इन्क्यूबेशन कार्यक्रम में नामांकन की कुल लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जो उप–खंड 3.3 में खंड 3 के अधीन निर्दिष्ट है।

2.7 औद्योगिक क्षेत्र/आईटी पार्क/विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि का प्रावधानः

राज्य सरकार अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों, आईटी पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) या किसी अन्य राज्य में स्थापित या आधार मूल्य पर औद्योगिक क्षेत्र का समर्थन करने वाले मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को भूमि/स्थान के आवंटन के लिए प्रावधान करेगी।

2.8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजरः

राज्य नोडल एजेंसी के अनुमोदन के अधीन, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, एक्सपोजिशन, सम्मेलन, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक्सलरेशन कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

सहायता की आवृत्ति	भागीदारी की श्रेणी	सहायता
एक	अंतर्राष्ट्रीय	प्रतिपूर्ति सहायता हेतु गणना में लिए जाने वाले व्यय/मद • इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना (एक संस्थापक / सह–संस्थापक के लिए) • बजट आवास (एक संस्थापक / सह–संस्थापक के लिए) • स्टाल स्थान • भागीदारी शुल्क, यदि कोई हो
दो	राष्ट्रीय	

2.9 पायलट परियोजनायें:

स्वीकृति प्राप्त राज्य सरकार के दस्तावेजों के साथ उत्पादों या सेवाओं की अवधारणा, परीक्षण और बाजार सत्यापन के प्रमाण के लिए एक पायलट परियोजना के लिए एक बार में रू. 3 लाख तक की सहायता अनुमन्य होगी। असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टप्स को रू. 2.5 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

स्टार्टअप को संबंधित सरकारी एजेंसी से पायलट प्रोजेक्ट के लिए आशय पत्र प्राप्त होना चाहिए।

2.10 एक्सलरेशन प्रोग्राम:

राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष कम से कम दो एक्सलरेशन कार्यक्रमों का आयोजन उद्यम पूंजी फर्मों या प्रसिद्ध एक्सलरेटर या कॉर्पोरेट घराने या एक्सलरेशन प्रोग्राम को डिजाइन करने और आयोजित करने में विशेषज्ञता रखने वाले किसी अन्य मान्यता प्राप्त पेशेवर संगठन के साथ साझेदारी में करेगी।

2.11 बाहरी फण्डिंग तक पहुंच:

वित्त पोषण के अवसरों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार पात्र स्टार्टअप्स को बाहरी निवेशकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, वित्त पोषण निकायों, उद्यम पूंजीपतियों, निवेश नेटवर्क आदि से सुविधाजनक शर्तों (उदाहरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण, संपार्श्विक–मुक्त ऋण, आसान ऋण आदि) पर धन जुटाने का अवसर प्रदान करने के लिए एक तंत्र और/या एक मंच स्थापित करेगी।

गैर–वित्तीय प्रोत्साहनः

2.12 ईज ऑफ डुईंग बिजनेसः

व्यवसाय शुरू करने में विभिन्न विभागीय अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करना सम्मिलित है। इस प्रकार, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार को नियामक अनुपालन, दंडात्मक कार्रवाइयों को कम करने और अगले चरण के आर्थिक विकास के इन प्रणोदकों को सहायता/जागरूकता प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए।

राज्य सरकार निरीक्षणों को कम करने और स्व–प्रमाणन को प्रोत्साहित करके ईज ऑफ डुईंग बिजनेस को बढ़ाएगी। सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप निम्नलिखित अधिनियमों के तहत मान्यता की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए स्व–प्रमाणन के आधार पर निरीक्षण से छूट के पात्र होंगेः

(i) कारखाना अधिनियम, 1948

(ii) दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम,

(iii) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

(iv) ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

(v) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

(vi) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

(vii) रोजगार विनिमय अधिनियम, 1959

(viii) उपदान (Gratuity) संदाय अधिनियम, 1972

(ix) वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(x) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(xi) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

(xii) अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979

(xiii) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952

(xiv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(xv) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित कोई अन्य अधिनियम, नियम, विनियम

उपरोक्त अधिनियमों के अधीन छूट, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार, स्टार्टअप इंडिया या राज्य अथवा केंद्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा या संबंधित अधिनियमों, नियमों या विनियमों के अधीन निर्दिष्ट उचित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन होगी।

2.13 लोक अधिप्राप्तिः

उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं उसके अन्तर्गत किये गये संशोधनों के अनुसार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त समस्त स्टार्टअप सार्वजनिक उपापन में छूट के पात्र होंगे। राज्य सरकार के अभिकरण (एजेंसियां) सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति और अधिप्राप्ति नियमों (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन निर्दिष्ट छूट

का विस्तार करेंगे।

राज्य सरकार के सभी संस्थाओं, विभागों या उपक्रमों को उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति के अधीन पंजीकृत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स से 10 लाख रुपये तक (जीएसटी को छोड़कर) की सीधे क्रय करने की अनुमति होगी।

2.14 साझा सुविधाओं तक पहुंचः

राज्य सरकार राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी प्रयोगशालाओं, उत्कृष्टता केन्द्रों, पुस्तकालयों या किसी अन्य साझा सुविधाओं में संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने की व्यवस्था करेगी, जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा नवीन विचारों/अवधारणाओं और/या उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक हो सकते है।

2.15 निःस्वार्थ सेवाएंः

राज्य सरकार पेशेवर संगठनों, कॉरपोरेट्स या अन्य संगठनों और सेवा प्रदाताओं के साथ एल एंड डी मॉड्यूल, निवेशक पिच डेक आदि के लिए उपकरण और टेम्पलेट जैसे प्रशिक्षण और सलाह प्रदान करने के लिए साझेदारी स्थापित करेगी और उत्पादों या सेवाओं के विकास में स्टार्टअप्स को सुविधा प्रदान करने और सहायता प्रदान करने के लिए एकाउंटेंसी, विधिक सहायता, मानव संसाधन, क्लाउड सेवाओं आदि जैसे हैंडहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान करेगी।

2.16 कुशल मानव संसाधनः

राज्य सरकार कुशल और अकुशल मानव संसाधन की भर्ती के लिए स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित करेगी, जिसके माध्यम से मानव संसाधनों की भर्ती पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन, शैक्षणिक संस्थानों में की जा सकती है।

2.17 मुद्दों या शिकायतों का समाधानः

राज्य सरकार एक एकीकृत वेब प्लेटफॉर्म स्थापित करेगी, जो स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स, निवेशकों, इच्छुक उद्यमियों के समस्याओं या शिकायतों की पहचान करने की अनुमति देगी और समयबद्ध तरीके से समस्याओं या शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी।

राज्य सरकार की सभी एजेंसियां स्टार्टप्स, इनक्यूबेटर्स, निवेशकों, इच्छुक उद्यमियों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के प्लेयर्स की समस्याओं या शिकायतों की पहचान और समाधान के लिए एक ऑनलाइन तंत्र भी विकसित करेगा, जो संबंधित एजेंसियों से संबंधित हो।

2.18 नीतियों और योजनाओं पर सार्वजनिक परामर्शः

राज्य सरकार लोक अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं के नियमों, विनियमों, सरकारी आदेशों आदि पर स्टार्टप्स से परामर्श करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी,

ताकि नीति को अन्तिम रूप देते समय उनके सुझावों पर विचार किया जा सके।

जीपीएस सिस्टम, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, फिनटेक, परिवहन, शहरी गतिशीलता, ई–वाहन, बायोटेक, हेल्थकेयर, ई–फार्मेसी, नागरिक उड्डयन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ड्रोन, रोबोटिक्स पर्यटन, यात्रा तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा उपकरण, आदि जैसे असंयत क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स से राज्य सरकार अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा स्टार्टअप से संबंधित क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली नीतियों, योजनाओं के नियमों, विनियमों, सरकारी आदेशों आदि को तैयार करते समय परामर्श लिया जाएगा।

3. इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रोत्साहनः

3.1 लीड इनक्यूबेटरः

राज्य सरकार उत्तराखण्ड में निर्माण, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल एवं स्वच्छता आदि क्षेत्रों में विश्व स्तरीय इन्क्यूबेशन केन्द्रों अथवा उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करेगी। इस इन्क्यूबेशन केंद्रों और/या सीओई का उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स या स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना होगा, जो जमीनी स्तर की चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं जिनका अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में अनुप्रयोग और/या प्रभाव है।

3.2 इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए पूंजीगत अनुदानः

राज्य सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पर कॉर्पोरेट्स, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संगठनों, एक्सलरेटर्स आदि के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना का प्रयास करेगी। उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप परिषद द्वारा स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेशन केन्द्र भूमि एवं भवन की लागत को छोड़कर एकमुश्त पूंजीगत अनुदान के पात्र होंगेः

विवरण	सहायता की मात्रा	सहायता की सीमा
नए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना	रू. 1 करोड़ तक	अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के प्रस्ताव पर
मौजूदा इन्क्यूबेशन केंद्रों का विस्तार	रू. 50 लाख़ तक	अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के प्रस्ताव पर

पूंजीगत अनुदान का वितरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट योजना तथा उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप परिषद द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट योजना के अधीन वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किया जायेगा। आवेदक आवेदन करते समय प्रस्तुत वार्षिक बजट योजना के साथ इन्क्यूबेशन केंद्र चलाने के लिए स्पष्ट रूप से व्यवसाय मॉडल को परिभाषित करेगा और वह पांच वर्ष की अवधि में स्वतःस्थायी हो जाएगा।

3.3 इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए प्रचालन अनुदानः

उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर खण्ड 2 के उप–खंड 2.6 में निर्दिष्ट स्टार्टप्स को इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने की लागत को कवर करने के लिए प्रति स्टार्टअप 1. 00 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति सहायता के पात्र होंगे। मान्यता प्राप्त इनक्यूबेशन केंद्रों को रू. 5 लाख तक की अतिरिक्त एकमुश्त सहायता केस–टू–केस बेसिस पर उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल के अनुमोदन के अधीन प्रदान की जाएगी।

मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेशन सेन्टर परिचालन अनुदान के लिए संचालन में आने के बाद अर्ह होंगे और परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स को इन्क्यूबेट करना प्रारम्भ कर देंगे। प्रचालन अनुदान सहायता, राज्य नोडल एजेंसी को संचालन की लिखित सूचना प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमन्य होगी। इनक्यूबेटर कम से कम 12 माह की अवधि के लिए और अधिकतम 18 माह की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को भौतिक रूप से इनक्यूबेट करेगा।

इन्क्यूबेशन केंद्र राज्य नोडल एजेंसी को निर्दिष्ट प्रारूप में इनक्यूबेटी स्टार्टअप द्वारा की गई प्रगति की त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

3.4 शैक्षणिक संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटरः

विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, स्कूल आदि प्रोटोटाइपिंग प्रयोगशालाओं के साथ एक बुनियादी इन्क्यूबेशन सुविधा और संसाधन जैसे कि भौगोलिक संसाधन, हार्ड एवं सॉफ्ट बुनियादी ढांचागत संसाधन, प्रक्रिया और शिक्षण–शास्त्र से जुड़े संसाधन और उनके परिसर के भीतर क्षेत्रीय प्रणालियां स्थापित करने का प्रयास करेंगे

प्रत्येक इन्क्यूबेशन केंद्र, छात्र नवाचार और उद्यमिता परिषद की भी स्थापना करेगा, परिषद की देखभाल के लिए मानव संसाधनों को नियुक्त करेगा, लघु और दीर्घकालिक कार्यसूची विकसित करने के लिए ऐसी सुविधा के समन्वय हेतु एक वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करेगा।

नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को प्रस्तावित बजट का 100 प्रतिशत तक और निजी क्षेत्र में स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रस्तावित बजट का 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देय होगी।

वित्तीय सहायता	विश्वविद्यालय	संस्थान और कॉलेज	पॉलिटेक्निक, आईटीआई, स्कूल आदि।
नए इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान	रू. 1 करोड़ तक	रू. 30 लाख तक	रू. 20 लाख तक
मौजूदा इनक्यूबेशन केंद्रों के विस्तार के लिए पूंजीगत अनुदान	रू. 50 लाख तक	रू. 20 लाख तक	रू. 10 लाख तक
परिचालन अनुदान	जैसा कि खंड 3 के उप–खंड 3.3 में निर्दिष्ट है	जैसा कि खंड 3 के उप–खंड 3.3 में निर्दिष्ट है	जैसा कि खंड 3 के उप–खंड 3.3 में निर्दिष्ट है

4. शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देनाः

4.1 उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई–सेल):

राज्य सरकार द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अधिनियमों के अधीन स्थापित सभी शैक्षणिक संस्थान उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई–सेल) स्थापित करेंगे और सभी निजी तौर पर स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ई–सेल) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और छात्रों को अपने परिसर में उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। शैक्षणिक संस्थान ई–सेल के दैनिक संचालन की देखभाल के लिए एक स्टार्टअप नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।

वर्षभर उद्यमिता पर केंद्रित गतिविधियों के आयोजन के लिए सभी ई–सेल स्टार्टअप उत्तराखण्ड से संबद्ध होंगे। सभी ई–सेल स्टार्टअप उत्तराखण्ड के सहयोग से स्टार्टअप बूट कैंप, बिजनेस प्लान प्रतियोगिता, स्टार्टअप पिच फेस्ट, आइडिया चैलेंज, ग्रैंड चैलेंज, हैकथॉन आदि का आयोजन उन छात्रों के लिए करेंगे, जो उद्यमिता अपनाने के इच्छुक हैं।

स्टार्टअप उत्तराखण्ड से संबद्ध ई–सेल कार्यक्रमों के संचालन के खर्च को पूरा करने के लिए प्रति कार्यक्रम रू. 1.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

4.2 छात्र स्टार्टअप उद्यमी:

राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदित नवीन स्टार्टअप विचारों पर काम करने वाले छात्र उद्यमी पूर्व–इन्क्यूबेशन समर्थन के लिए पात्र होंगे जैसा कि खंड 2 के उप–खंड 2.5 में निर्दिष्ट है और मासिक भत्ता खंड 2 के उप–खंड 2.1 में निर्दिष्ट है। ग्रेजुएशन और पोस्ट–ग्रेजुएशन के छात्र उद्यमियों को उनकी स्टार्ट–अप परियोजना को उनकी डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक अंतरिम परियोजना या अंतिम वर्ष की परियोजना के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी।

स्टार्टअप उत्तराखण्ड समय–समय पर विचार, प्रोटोटाइप, एमवीपी, फील्ड–परीक्षण, बाजार अनुसंधान और फाइलिंग आईपीआर के सत्यापन के लिए प्रारंभिक शोध करने के लिए प्रारंभिक परामर्श के लिए छात्र उद्यमियों की सुविधा के लिए तंत्र स्थापित करेगा।

4.3 उद्यमिता पर पाठ्यक्रम:

सभी शैक्षणिक संस्थान एक छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के साथ–साथ कार्य योजना और अच्छी तरह से परिभाषित अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य तैयार करेंगे, जो उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति– 2023 और राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति 2019 के अनुरूप होना चाहिए।

उद्यमिता संवर्धन और विकास शैक्षणिक संस्थान की रणनीति के प्रमुख आयामों में से एक होना चाहिए। राज्य नोडल एजेंसी उद्यमिता विकास पर केंद्रित पाठ्यक्रम को डिजाइन और विकसित करेगी।

सभी शैक्षणिक संस्थान छात्रों को जागरूक करने और उन्हें अपने कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में "उद्यमिता विकास" पर पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन करेंगे।

सभी शैक्षणिक संस्थान समर कैंप कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उत्तराखण्ड स्टार्टअप सेल के सहयोग से चिन्हित छात्रों के लिए "नवाचार और उद्यमिता विकास" पर केंद्रित कम से कम एक समर्पित पाठ्यक्रम भी आयोजित करेंगे।

4.4 व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) को पाठ्यक्रम में शामिल करना:

नवाचार और उद्यमिता पर केंद्रित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज या राज्य सरकार द्वारा डिजाइन एवं अनुमोदित किसी अन्य व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्सेज को स्टार्टअप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इन एमओओसी को इच्छुक छात्र उद्यमियों द्वारा वैकल्पिक विषयों के रूप में लिया जा सकता है और उनकी रुचि के आधार पर उन्हें समुनदेशित किया जा सकता है।

4.5 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण:

नवाचार और उद्यमिता युवाओं को महत्त्वपूर्ण खोजों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। युवाओं को उद्यमिता की ओर ले जाने में शिक्षकों, शिक्षकों और परामर्शदाताओं की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। उद्यमिता के क्षेत्र में उद्योग जगत के दिग्गजों, कॉरपोरेट और स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विषय विशेषज्ञों द्वारा विकास के लिए शिक्षकों, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा।

शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार की एजेंसियों में विशेषज्ञ के लिए स्टार्टप्स पर केंद्रित प्रशिक्षण और क्षमता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रु. 1.00 लाख तक की प्रति संस्थान/ प्रति कार्यक्रम/प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी।

4.6 स्टार्टअप के सलाहकार के रूप में संकायः

सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों को एक निर्धारित समय के लिए इनक्यूबेटर सेंटर या उद्यमिता विकास प्रकोष्ठों (ईडीसी) में इच्छुक छात्र उद्यमियों के साथ संरक्षक के रूप में काम करने के लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके बाद वे अपने सामान्य काम में वापस आ सकेंगे।

4.7 उद्योग और शिक्षा जगत के बीच साझेदारीः

उद्योग – अकादमिक सहयोग एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जहां उद्योग और शिक्षा दोनों फलते–फूलते हैं। अनुसंधान परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, नवाचारों को उत्प्रेरित करने और प्रौद्योगिकी के विकास और कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए उद्योग और कॉरपोरेट्स के साथ साझेदारी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

राज्य सरकार उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी को सक्षम करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी।

4.8 शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार का व्यावसायीकरणः

नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करना और स्टार्ट–अप्स को समय पर सहायता प्रदान करना, वास्तव में एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए रॉक–सॉलिड फाउण्डेशन बनाता है। अगली पीढ़ी के स्टार्टअप बनाना समय की मांग है। विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), तकनीकी शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा आदि जैसे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान अग्रिम अगली पीढ़ी के स्टार्टअप के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उत्तराखण्ड में सभी शैक्षणिक संस्थानों को अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, पेटेंट विचारों या किसी भी अन्य परियोजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो अकादमिक अनुसंधान खोजों को सफल व्यावसायिक उपक्रमों में बदलने के उद्देश्य से इच्छुक छात्र उद्यमियों, स्टार्टअप्स और उद्योगों के सदस्यों के लिए व्यावसायिक मूल्य रखते हैं।

इसका उद्देश्य अनुसंधान और व्यवसाय दोनों को लाभ पहुंचाना है और नई तकनीक के उपयोग में आने पर नए मूल्य का निर्माण करना है।

5. सामान्य प्रावधानः

5.1 संस्थागत समर्थनः

(i) स्टार्ट–अप पोर्टल और मोबाइल ऐपः

स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप नीति, सरकारी अधिसूचना, मान्यता के लिए आवेदन और प्रोत्साहन आदि से संबंधित सभी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार उत्तराखण्ड स्टार्टअप पोर्टल और ऐप को अपग्रेड करेगी।

(ii) समर्पित हेल्पलाइनः

स्टार्टअप से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन अंग्रेजी और हिंदी में विकसित की जाएगी। हेल्पलाइन

व्यवसाय पंजीकरण, धन/ऋण जुटाने, नीति स्पष्टीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में सभी प्रश्नों को संबोधित करने में सहायता करेगी।

5.2 फैब लैब या मेकर्स लैब या प्रोटोटाइप लैबः

इनोवेटर्स, स्टार्टप्स, इनोवेटर्स के लिए फैब लैब, मेकर लैब्स या उत्पाद विकास, परीक्षण और सत्यापन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए धन का प्रावधान किया जाएगा। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में राज्य सरकार कम से कम दो प्रयोगशालाओं की स्थापना सुनिश्चित करेगी।

5.3 फ्लैगशिप कार्यक्रमः

उद्यमिता के माध्यम से जटिल समस्याओं के समाधान हेतु युवाओं को आकर्षित एवं अभिप्रेरित करने के लिए राज्य नोडल विभाग और अन्य विभाग, एजेंसियां, निकाय, निगम, शहरी स्थानीय निकाय, प्राधिकरण और राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं

(क) उत्तराखण्ड के दो अलग–अलग क्षेत्रों में कम से कम दो राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे उत्तराखण्ड इनोवेशन वीक, स्टार्टअप टेकफेस्ट, स्टार्टअप फंडरेजिंग इवेंट, उत्तराखण्ड स्टार्टअप कॉन्क्लेव आदि आयोजित करने।

(ख) जिलेवार स्टार्टअप बूट कैंप और कम से कम एक आइडिया चैलेंज, ग्रैंड चैलेंज, रूरल इनोवेशन चैलेंज, हैकथॉन आदि का आयोजन करें। राज्य भर के इनोवेटर्स से नए विचारों और परियोजनाओं की तलाश करने।

(ग) उत्तराखण्ड स्टार्टअप प्रदर्शनी, स्टार्टअप उत्पाद शोकेस, डेमो डे/डिमांड डे, बी2जी और बी2बी कार्यक्रम आदि जैसे स्टार्टअप्स को बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए कम से कम एक कार्यक्रम आयोजित करने।

वार्षिक रूप से, चुनौतियों/प्रतियोगिताओं के दौरान एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए शीर्ष बीस अभिनव स्टार्टअप विचारों को रू. 2.0 लाख का सीड फंड प्रदान किया जाएगा, जो उनकी सफलता की कहानियों के प्रकाशन के साथ–साथ अनुदान सहायता और इन्क्यूबेशन सहायता के रूप में होगा।

5.4 संवेदीकरण कार्यक्रमः

जागरूकता पैदा करने और राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति बनाने के लिए, राज्य नोडल एजेंसी राज्य के सभी जिलों को कवर करने वाले इच्छुक उद्यमियों, इन्क्यूबेटर्स, निवेशकों, संरक्षकों, उद्योग के सदस्यों, पेशेवरों और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थकों के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता के लिए स्टार्टअप संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

5.5 फंड्स ऑफ फंड्स या वेंचर फंडः

स्टार्टअप में निवेश के लिए, इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें स्केल–अप हेतु इक्विटी फण्ड के रूप में अपने उद्यम को विकसित करने तथा विकास के लिए सक्षम बनाने हेतु वेंचर फंड में निवेश करने हेतु फण्ड्स ऑफ फण्ड्स के रूप में रू. 200 करोड़ की निधि आवंटित की जाएगी। निधियों के संचालन और प्रबंधन के लिए खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक पेशेवर निधि प्रबंधक का चयन किया जाएगा। राज्य में लीड इनक्यूबेटर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निधियों

के एक हिस्से का उपयोग किया जा सकता है।

राज्य सरकार की एजेंसियां इक्विटी के बदले नवीन और/या प्रौद्योगिकी उन्मुख स्टार्टअप में निवेश करने के लिए अपने बजट से क्षेत्र विशिष्ट उद्यम निधि भी स्थापित कर सकती हैं।

5.6 एंजेल नेटवर्क की स्थापनाः

उत्तराखण्ड सरकार उद्योगपतियों, पेशेवरों, व्यक्तिगत निवेशकों, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, अनिवासी भारतीय, सामाजिक प्रभाव निवेशक समूहों को एंजेल्स नेटवर्क स्थापित (उत्तराखण्ड एंजेल्स) करने के लिए संवेदनशील बनाएगी, ताकि उत्तराखण्ड से संचालित स्टार्टअप्स के लिए प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण के वैकल्पिक श्रोत को सक्षम बनाया जा सके।

5.7 राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँः

राज्य सरकार की सभी एजेंसियां निम्नलिखित गतिविधियों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगीः

(i) ऐसी स्टार्टअप नीतियों सुविन्यस्त करेंगे, जो स्पष्ट रूप से स्थायी कार्यक्रमों, हैकथॉन, भव्य चुनौतियों, इन्क्यूबेशन सपोर्ट, परामर्श समर्थन, वित्त पोषण समर्थन, सार्वजनिक खरीद, उद्यम वित्त पोषण, ओपन डेटा एपिस और अन्य टिकाऊ कार्यक्रमों के रूप में स्टार्टअप को संस्थागत समर्थन प्रदान करने के लिए वार्षिक योजना को परिभाषित करना।

(ii) स्थापित स्टार्टअप हेल्पडेस्क और इसके संचालन और प्रबंधन की देखभाल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, ताकि इच्छुक स्टार्टअप उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

(iii) मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स को तकनीकी सहायता, सलाह और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट्स, उद्योग संघों या पेशेवर संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना।

(iv) स्टार्टअप्स की बारीकियों पर मार्गदर्शन, परामर्श और प्रशिक्षण के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

(v) इससे संबंधित समस्याओं या शिकायतों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से उनके समाधान के लिए एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित करना।

(vi) मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को भव्य चुनौतियों, विचार चुनौती, डेमो डे/डिमांड डे, इनोवेशन डे आदि के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट से गुजरने के अवसर के रूप में अवसर प्रदान करें, ताकि वे अपने उत्पाद और सेवाओं का परीक्षण और सत्यापन करना।

(vii) उत्तराखण्ड क्रय वरीयता नीति, अधिप्राप्ति के नियमों (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार सभी सार्वजनिक अधिप्राप्ति में सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को छूट प्रदान करना।

(viii) संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों की मौजूदा या किन्हीं नई योजनाओं, नीतियों, नियमों, विनियमों, सरकारी आदेशों आदि में किए जाने वाले परिवर्तनों पर उनके सुझावों को आमंत्रित करने के लिए स्टार्टअप्स के साथ परामर्श करना, ताकि उनके सामने आने वाली चुनौती का समाधान किया जा सके।

(ix) स्टार्टअप्स के लिए परेशानी रहित और समयबद्ध वैधानिक मंजूरी को सक्षम बनाना।

(x) खंड 5 के उप–खंड 5.2 में निर्दिष्टानुसार वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करना।

(xi) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की जाने वाली अन्य गतिविधियां।

5.8 हैकथॉन या आइडिया चैलेंजः

जटिल समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकार की एजेंसियां अपने संबंधित क्षेत्रों से एक समस्या क्षेत्र या चुनौतियों की पहचान करेंगी और उन समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए सभी स्टार्टअप्स को आमंत्रित करेंगी।

स्टार्टअप्स द्वारा इस तरह से डिजाइन व विकसित किए गए तथा कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए समाधानों को प्रारंभिक अनुदान दिया जाएगा और संबंधित विभाग, एजेंसियों, या निकायों, निगमों, प्राधिकरणों, शहरी स्थानीय निकायों या अन्य संस्थाओं में एक उपयुक्त पैमाने पर एक पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वयन के लिए लिया जा सकता है।

हैकथॉन/आइडिया चैलेंज/इनोवेशन चैलेंज के आयोजन के लिए और विजेता आइडियाज को पायलट प्रोजेक्ट के लिए मौका देने हेतु निधि का प्रावधान संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

5.9 महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करनाः

राज्य सरकार की सभी एजेंसियां उद्यमिता में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रमों और पहलों को डिजाइन और कार्यान्वित करेंगी और महिला स्टार्टप्स को मार्गदर्शन, समर्थन और सलाह देने के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगी। महिलाओं पर केंद्रित कम से कम दो कार्यक्रम उनकी क्षमता निर्माण के लिए एक वर्ष में आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभाग, अभिकरणों (एजेंसियां), निकाय अपने बजट से धनराशि का प्रावधान करेंगे।

राज्य सरकार सभी समर्थित इनक्यूबेटर्स महिलाओं के नेतृत्व वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत सीटें आवंटित करेंगे।

5.10 क्षमता निर्माण कार्यक्रमः

प्रत्येक वर्ष, राज्य नोडल एजेंसी सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स, एंजल निवेशकों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेगी, ताकि विश्वभर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की नव गतिविधि के बारे में जागरूक किया जा सके।

5.11 जिला नवाचार समितिः

उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला नवाचार समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें उद्योगों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और उद्योग निकायों के सदस्य शामिल होंगे। जिला नवाचार समिति अपने संबंधित जिलों में स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी और नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को विकसित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी।

इच्छुक स्टार्टअप उद्यमियों को मार्गदर्शन, हैंडहोल्डिंग सपोर्ट, मेंटरिंग सपोर्ट आदि प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला जिला उद्योग केंद्र स्टार्टअप हेल्प डेस्क स्थापित करेगा और राज्य नोडल एजेंसी को इस कार्य के लिए नामित नोडल अधिकारी की सूचना देगा।

जिला नवाचार समिति के निम्नलिखित कार्य होंगेः

(i) जिला स्तर पर स्टार्टअप नीति का क्रियान्वयन।

(ii) उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में स्टार्टअप/उद्यमों के पोषण के लिए एक स्टार्टअप कार्य योजना, प्रक्रिया और तंत्र तैयार करना।

(क) आकांक्षी स्टार्टअप उद्यमियों को सहायता प्रदान करना।

(ख) संबंधित जिलों से इनोवेटिव स्टार्टप्स की पहचान करना।

(ग) इन्क्यूबेशन सपोर्ट और मेंटरिंग सपोर्ट पाने के लिए उन्हें सक्षम बनाना।

(घ) राज्य सरकार की एजेंसियों, कॉरपोरेट्स आदि के माध्यम से संबंधित जिले में पायलट प्रोजेक्ट से गुजरने का अवसर प्रदान करना।

(ङ) सार्वजनिक उपापन और संबंधित छूटों में वरीयता।

(च) निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों आदि से धन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।

(छ) जिला नवाचार पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करना।

(ज) राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधियाँ।

(iii) मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स को तकनीकी सहायता, सलाह और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट्स, उद्योग संघों या पेशेवर संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना।

(iv) शासकीय क्लीयरेंसेज, अनुज्ञा आदि प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

(v) जिला स्तर पर स्टार्टप्स से सम्बन्धित विषयों या शिकायतों की पहचान के लिए तंत्र की स्थापना।

(vi) छात्रों, महिलाओं आदि के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करना।

(vii) स्टार्टअप की बारीकियों पर सरकारी अधिकारियों, उद्योग के सदस्यों, मेन्टर्स और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।

5.12 जिला नवाचार कार्यक्रमः

जागरूकता उत्पन्न करने और जमीनी नवाचारों और नवोदित स्टार्टअप उद्यमियों की पहचान करने के लिए, जिला नवाचार समिति केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जैसे कि;

(i) बी–प्लान प्रतियोगिताएं।

(ii) ग्राण्ड चैलेन्ज/आईडिया चैलेन्ज।

(iii) हैकथॉन।

(iv) स्टार्टअप शोकेस दिवस/बी2जी मीट।

(v) डेमो डे/ डिमांड डे आदि।

(vi) क्रेता–विक्रेता बैठकें।

उत्तराखण्ड के संबंधित जिलों में राज्य सरकार की एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग निकायों, कॉर्पोरेट्स, वित्तीय संस्थानों आदि के सहयोग से।

5.13 बाजार में पहुंच के लिए कॉर्पोरेट इनोवेशन प्रोग्राम (सीआईपी):

उत्तराखण्ड में स्टार्टप्स के लिए निजी क्षेत्र के बाजार में पहुंच के दायरे को व्यापक बनाने के उद्देश्य से राज्य नोडल एजेंसी स्टार्टअप्स के लिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपोजर की सुविधा के लिए कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित करेगी। राज्य सरकार सीआईपी के आयोजन के लिए अपेक्षित धन का प्रावधान करेगी।

5.14 नीति की समीक्षाः

राज्य सरकार दो वर्ष में एक बार इस नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करेगी, ताकि नीति की उपयोगिता, कार्यान्वयन में आसानी और प्राप्त परिणामों का गुण–दोष के आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रतिवेदन को निर्णय के लिए उत्तराखण्ड स्टार्टअप काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा।

5.15 इस नीति के अधीन प्रोत्साहन और लाभों की अनुमन्यताः

स्टार्टअप या इनक्यूबेटर, जो इस नीति के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं, नीति के समाप्त होने के पश्चात तीन वर्ष के भीतर नीति में प्रदत्त लाभों के लिए दावा करने के अर्ह होंगे।

Notification No:371 /VII-3-23/41-MSME/2016 Dated 17 March, 2023

Annexure

THE UTTARAKHAND STARTUP POLICY, 2023

Promoting Innovations & Entrepreneurship

Table of Contents

BACKGROUND 0
OBJECTIVES 2
VISION 2
GOALS 2
VALIDITY OF THE POLICY 2
1. DEFINITION 2
1.1. Legal Entity (for the purpose of recognizing startups under this Policy) 2
1.2. Startups 3
1.3. Grassroot Innovation or Innovation/Startups with Rural Impact 3
1.4. Startups working on disruptive technologies 4
1.5. Startups by Women Entrepreneurs 5
1.6. Startups by Scheduled Caste or Scheduled Tribes or Differently Abled Person or by a Transgender 5
1.7. Startups by Student Entrepreneurs 5
1.8. Recognized Startup 5
1.9. Turnover 6
1.10. Stages of Startup 6
1.11. Innovation 6
1.12. Incubation Center or Incubator 6
1.13. Recognized Incubator 7
1.14. Lead Incubator 8
1.15. Mentors 8
1.16. Subject Matter Experts 8
1.17. State Government 8
1.18. State Government Agencies 8
1.19. Academic Institutions 9
1.20. Accelerator 9
1.21. Angel Network 9
1.22. Venture Capital 9
1.23. Uttarakhand Startup Council 9
1.24. State Nodal Agency 10

1.25. Uttarakhand Startup Cell 10
1.26. Task Force or Committee for Grant of Recognition and Disbursement of Incentives - CoRDI 10
1.27. Limiting Clause 10
2. INCENTIVES FOR RECOGNIZED STARTUPS 11
2.1. Monthly Allowance 11
2.2. Seed Fund 11
2.3. Intellectual Property Rights 11
2.4. Incentives under MSME Policy 12
2.5. Pre-incubation Support 13
2.6. Incubation Support 13
2.7. Provision of Land in Industrial Area / IT Parks / SEZ 13
2.8. National and International Exposure 13
2.9. Pilot Projects 14
2.10. Acceleration Program 14
2.11. Access to external funding 14
2.12. Ease of Doing Business 15
2.13. Public procurement 15
2.14. Access to Shared Facilities 16
2.15. Pro Bono Services 16
2.16. Skilled Human Resource 16
2.17. Resolution of issues or grievances 16
2.18. Public consultations on the policies & schemes 16
3. INCENTIVES FOR INCUBATORS 18
3.1. Lead Incubator 18
3.2. Capital Grant for Incubation Centers 18
3.3. Operational Grant for Incubation Centers 18
3.4. Incubation Centers in Academic Institutions 19
4. PROMOTING ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIA 20
4.1. Entrepreneurship Development Cells (eCells) 20
4.2. Student Startup Entrepreneurs 20
4.3. Syllabus on Entrepreneurship 20
4.4. Inclusion of Massive Open Online Course (MOOCs) in curriculum 21

4.5. Training of trainers 21
4.6. Faculties as Mentor of Startup 21
4.7. Partnership between industry and academia 22
4.8. Commercialization of innovation in academic institutions 22
5. GENERAL PROVISIONS 23
5.1. Institutional Support 23
5.2. Fab lab or Makers Lab or Prototyping lab 23
5.3. Flagship Programs 23
5.4. Sensitization Programs 24
5.5. Funds of Funds or Venture Fund 24
5.6. Establishment of Angel Network 24
5.7. Activities to be undertaken by State Government Agencies 24
5.8. Hackathons or Idea Challenge 25
5.9. Encouraging Entrepreneurship among Women 25
5.10. Capacity Building Programs 26
5.11. District Innovation Committee 26
5.12. District Innovation Programs 27
5.13. Corporate Innovation Programs (CIPs) for Market Access: 27
5.14. Review of the Policy 27
5.15. Grant of incentives and benefits under this Policy 27

BACKGROUND

India is at the cusp of becoming the leading startup ecosystem in the world with a consistent annual growth of 12-15 per cent as estimated by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India. India has more than 70,000 registered startups with at least 14,000 recognized during fiscal 2022, according to the Economic Survey 2021-22; around 8,900 – 9,300 of these are technology led startups, 1300 new tech startups were born in 2021-22 alone implying there are 2-3 tech startups born every day. From producing its first unicorn startup in the year 2011 to hitting the century of unicorns in India in the year 2022, it has been a long and eventful journey for the Indian startup ecosystem. Funding raising and investments into start-ups has been at its peak globally. From the start of the year 2022 until July 2022, India has already seen 19 new unicorns. The total count of Indian tech startups that have entered the unicorn club to date stands at 105. With the increased funding activity and rise in valuations, the number of startups in the decacorn list is also on the rise across the country.

With proximity to national capital region (NCR), unique climatic condition couple with natural flora and fauna, Uttarakhand can be considered as the strategic hub for the startups working in the sectors such as Food and Agriculture, Travel and Tourism, Education, Pharmaceutical, Wellness, Information Technology, Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, SaaS, Drone, Robotics etc. The state has conducive policies, business friendly environment, robust infrastructure which makes the state as most preferred startup destination in the country. The state is home to more than 700startups by the end of June 2022, which was only 100 until end of the year 2018.Around thirteen (13) startup from the state have been successful in raising funds from notable angel investors, venture capital firms and other private investors by the end of the first quarter of 2022as result of focused efforts of Government of Uttarakhand. Till the mid of the year 2022, the state has been able to establish 55,000+ square feet of the incubation space in 11 incubation centers across the state, more than 190 registered mentors, 20+ angel investors and venture capitalist on-boarded along with on boarding of 13 partner organizations for providing technical and shared services to startups.

In the States' Startup Ranking 2019, Uttarakhand was recognized as the "Aspiring Leader" and "Regulatory champion". After the announcement of Uttarakhand Startup Policy and as a result of strategic programs and interventions undertaken, **"Startup Uttarakhand"** was recognized as ***"An Institutional Champion"*** and ***"A Capacity Building Pioneer"***. In the **States' Startup Ranking 2021** announced by Startup India & DPIIT, Startup Uttarakhand was recognized as ***"Leader"***. The State Government has also formed CM Advisory group on Startups, Innovation and Entrepreneurship in the year 2020 to guide and advise Government of Uttarakhand on the strategic initiatives focused on Startups. Startup Uttarakhand has more than twenty (20) specially programs designed to guide, train, mentor and handhold aspiring entrepreneurs, incubators, investors, women entrepreneurs, government officials and

other ecosystem players from across the state. The state government organizes Startup Boot Camps, Grand Challenge, hackathons etc. to identify and recognize innovations ideas. The state also organizes national and international exposure visits for the stakeholders of the startups ecosystem.

It is evident from the current trends that startups have become the center of innovations across the world. They not only play important role in designing and developing innovative solutions to the complex problems but also plays vital role in improving employment patterns, providing job opportunities and wealth creation for the states. Startups boost the economy with revolutionary technology and create new industries over time. Countries that have provided suitable economic, political and social environments to startups have witnessed the positive impacts they have created for the country. Thus, to nurture the culture of innovation and entrepreneurship in the state of Uttarakhand, it is inevitable to support startups, incubators, investors, mentors and all other key stakeholders of the ecosystem with the futuristic policies, schemes and support systems. This demand the need to take strategic efforts and actions plans to further boost the startup ecosystem in the state.

In the wake of the drastic changes in the economic environment as result of pandemic across the world, it has become inevitable to design exemplary measures to support homegrown startup enterprises. As a result, it is important to revisit the State's Startup Policy and make sufficient provisions to support the further growth of startup ecosystem in Uttarakhand. Thus, with an objective to address the need of promoting innovations and entrepreneurship in solving the complex societal problems and to support key stakeholders of startup ecosystem, the **"Uttarakhand Startup Policy 2023"**has been brought in to force.

OBJECTIVES

The objective of this policy is to create the culture of innovation and entrepreneurship by establishing a robust startup ecosystem in the state. The growth of the startup ecosystem will be fueled with the establishment of world-class institutional infrastructure, incubation and mentoring network, enabling access to funds, providing market access, public procurement, business friendly and regulatory environment along with promotion of employment generation and wealth creation opportunities across the state.

VISION

To become a leading startup destination and develop Uttarakhand as the strategic startup hub for innovators, aspiring entrepreneurs, incubators and ecosystem players

GOALS

1. Stimulate the growth of 1000 startups including technology driven enterprises in next 5 years
2. Encourage the growth of startup enterprises working on innovative technologies, processes or procedures, eco-friendly technologies, social impact or sustainability having focus on solving complex problems and stimulating the growth of local economy through employment creation and wealth generations
3. Establish state of the art infrastructure and facilities for innovators, startups, aspiring students entrepreneurs, women entrepreneurs and other ecosystem stakeholders across the state
4. Establish 30 new incubation centers across the state with at least 1 incubation center in each district
5. Establish a mechanism to enable access to funds, key infrastructure and other key resources that are important for the growth of startup enterprises in the state.
6. Enable collaborations between industry and academia to promote entrepreneurship, innovations and its commercialization and the growth of technology enterprises
7. Develop an environment conducive to the creation, growth or transformation of startups enterprises in to a highly successful enterprises

VALIDITY OF THE POLICY

This Policy is valid for a period of 5 years from the date of its notification or until new Policy is formulated.

1. DEFINITION

1.1. Legal Entity (for the purpose of recognizing startups under this Policy)

A legal entity means a company incorporated in India as

i. A private limited company as defined in the Companies Act 2013 or
ii. A limited liability partnership firm under the provisions of Limited Liability Partnership Act, 2008 or

iii. A partnership firm registered under section 59 of the Partnership Act, 1932

1.2. Startups

An entity shall be considered as a "Startup" under the Uttarakhand Startup Policy, 2023if it fulfills the criteria as specified below:

For legal entities having Registered Office in Uttarakhand

(i.) It should be a separate "Legal Entity" as defined in the sub-clause 1.1 of clause 1 and

(ii.) The period of existence and operations of the legal entity should not exceed ten years from the date of its incorporation and

(iii.) Turnover of the legal entity for any of the financial years since incorporation/ registration has not exceeded one hundred crore rupees and

(iv.) Entity should not have been formed by splitting up or reconstruction of an existing business and should not be a part of the family business or conglomeration and

(v.) Entity should be working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation or

(vi.) as per the criteria notified by Government of India from time to time for defining startups

Legal Entities having Registered Office in other states of India

In addition to the criteria define under sub clause 1.2of this Policy:

(i.) Entity shall have an office in Uttarakhand and should have significant operation of business from Uttarakhand

(ii.) Entity shall be employ at least 70 percent of its overall full-time workforce (workforce shall include founder, cofounders, support staff, skilled staff working on company payroll)having a domicile of Uttarakhand during the entire period of recognition

1.3. Grassroot Innovation or Innovation/Startups with Rural Impact

Grassroot Innovations or Innovations/startups with rural impact shall be defined as

(i.) creation or development or improvement of products or services that can solve the problems or challenges or issues faced by the people living in the rural or hilly region or

(ii.) the development or improvement of the product or services which is scalable and can generate wealth and provide livelihood opportunities to the people living in the rural or hilly region.

Startups, which are based in the regions as defined under category A and B of the Uttarakhand MSME Policy,2015 (as amended from time to time) and are working on some innovative means, ways or methods to solve the challenges, issues or problems faced by the people living in those region or providing livelihood opportunities to them shall be considered as Startups working towards grassroot innovations or innovations with rural impact.

1.4.Startups working on disruptive technologies

The qualification of startups working on disruptive technologies are as follows:

(i.) **Startups working on futuristic technologies:** Startups that are working on futuristic technologies such as Neural Language Processing (NLP), Drones, Robotics, Defence, Aerospace, Space technologies, Fintech, Medtech, Healthtech to provide innovative solutions to the problem or challenges existing in the society or country.

(ii.) **Startups working on Renewable energy:** Startups helping to reduce carbon footprints through a renewable and sustainable source of energy using clean technologies or solutions such as Solar energy, Wind energy, Hydro energy, Tidal energy, Geothermal energy, Biomass energy etc.

(iii.) **Startups working on Climate Change:** Startups working in the area of eco-friendly and/or climate-friendly technologies/solutions that helps in reducing and offsetting carbon emissions or increasing the green cover in the region

(iv.) **Startup working on Circular Economy:** Startups working in the four Rs of the circular economy namely:

(a.) Reuse: Cloth collection, circular fashion, second-hand products etc.

(b.) Recycle: Recycled plastic, bottles, construction with recyclable materials etc.

(c.) Reduce: Packaging with sustainable material, edible cutlery etc.

(d.) Remove: Urban farming, use of fossil fuel, carbon capturing etc.

(v.) **Startup working on Sustainability:** A startup working on green and sustainable practices along with next generation cutting edge technologies, processes or solutions that are enabling the world at large to recover from years of overuse such as

(a.) improving the soil's health

(b.) protection of endangered species

(c.) protection of the ocean's biodiversity

(d.) clean technologies for alternative energy sources

(e.) clean technologies for water conservation and ground water recharging

(f.) plantation and conservation of trees to increase green cover in particular region

(g.) disaster management etc.

1.5. Startups by Women Entrepreneurs

Legal entity shall be considered as women startup wherein

(i.) The entity is founded by a woman entrepreneur; and

(ii.) the equity holding and/or partnership of the women founders in the legal entity is not less than 51 percent; and

(iii.) woman is an active partner or director in the company and is actively looking after the day-to-day operations in the company

1.6. Startups by Scheduled Caste or Scheduled Tribes or Differently Abled Person or by a Transgender

The legal entity shall be considered as Startup by Scheduled Caste/Scheduled Tribes /Differently Abled/ Transgender wherein

(i.) the entity is founded by a person from Scheduled Caste /Scheduled Tribes/Differently Abled/ Transgender; and

(ii.) the equity holding and/or partnership by the person from Scheduled Caste /Scheduled Tribes/Differently Abled/ Transgender is not be less than 51 percent in the legal entity so formed; and

(iii.) is an active partner or director in the company and is actively looking after the day-to-day operations in the company

1.7. Startups by Student Entrepreneurs

Any person studying in

(i.) schools, colleges, polytechnics, industrial training institutes (ITIs) or

(ii.) any institution of higher education (HEIs), technical education, medical educations or ayush established by the state or central government or

(iii.) skill training or vocational training institutes recognized by governments

(iv.) any open university and/or university established through a State or Central Act or

(v.) any other educational institution or university that is recognized by the State or Central Government

who is pursuing innovation (product, process, technology or business innovation)driven entrepreneurial ventures while studying with due permission from the respective board, institution and/or universities as the case may be.

1.8. Recognized Startup

(i.) Any legal entity fulfilling the criteria specified in sub-clause 1.2 of clause 1 and which is recognized as Startup by the Startup Task Force established

under the Uttarakhand Startup Policy shall be considered as recognized startups.

(ii.) The startups ideas by student entrepreneurs, which are approved by the Startup Task Force established under the Uttarakhand Startup Policy shall be considered as a recognized startups.

(iii.) Entities that have been recognized as Startups under Uttarakhand Startup Policy 2018shall be considered as recognized startup

1.9.Turnover

Turnover shall be as defined under the provision of The Companies Act, 2013

1.10. Stages of Startup

1.10.1. Ideation Stage

Idea Stage refers to an integral stage in the lifecycle of startup wherein feasibility analysis of the startup idea is performed to evaluate the success/failure of the concept.

1.10.2. Prototyping or Minimum Viable Product (MVP) Stage

Prototyping or MVP Stage refers to an integral stage in the lifecycle of a startup wherein the concept for the product or process or service is converted into the physical form and which can be produced and delivered in a limited capacity and can be scaled-up upon the success and requirement.

1.10.3. Scale-up Stage

Scale-up Stage refers to an integral stage in the lifecycle of a startup wherein company is ready with the validated/final product, process or services and is looking for its commercialization on a larger scale.

1.11. Innovation

Inventions are the bedrock of innovation. An invention is a new solution to a technical problem that can be protected through patents.

Innovation means doing something new that improves the product, process or service. Innovation involves application of information, imagination and initiative in deriving greater or different values from resources. Innovations can be protected under intellectual property rights(IPRs).

1.12. Incubation Center or Incubator

An organization designed to support startup companies in the early stages to help them develop innovative products, processes or service with a scalable

business model through business support resources and facilities such as co-working space, prototyping labs and equipment for the development of products or services. The incubation center shall also provide access to hard and soft infrastructure, seed funding, business mentoring and coaching, shared services that shall including accounting, legal services, human resource, corporate connects, connect with industry mentor and investor, acceleration program and providing networking opportunities along with other support needed for the growth of the startups.

For the purpose of this policy, an incubation center shall be

- any entity funded or registered under the policies or schemes by the departments, agencies or bodies of Government of India such as Technology Business Incubator (TBI) under Department of Science & Technology, Atal Incubation Centre under NITI Aayog etc. or
- any existing incubation center established under the policies or schemes of any other state government in India which has its full functional facilities in Uttarakhand or
- any newly established legal entity registered in Uttarakhand for setting up of incubation center

which has its sole objective to promote innovation and entrepreneurship among the sections of the society.

1.12.1. For the purpose of this policy, an incubation center shall be a separate legal entity having the core objective to promote innovation and entrepreneurship across the state and which is registered under any one of the following categories:

(i.) A Society (under The Societies Registration Act, 1860) or
(ii.) A Section 8 Company (under The Companies Act, 2013) or
(iii.) A Private Limited Company (under The Companies Act, 2013) or
(iv.) A Limited Liability Partnership (under The Limited Liability Partnership Act, 2008) or
(v.) A Public Charitable Trust (under The Indian Trusts Act, 1882)

1.13. Recognized Incubator

Any separate legal entity fulfilling the criteria as specified in sub-clause 1.11of clause 1 and which is recognized as Incubator by the Uttarakhand Startup Council established under Uttarakhand Startup Policy shall be considered as recognized incubators.

Entities that have been recognized as Incubator under Uttarakhand Startup Policy 2018 shall be considered as recognized incubator.

1.14. Lead Incubator

The Government realizes that there is a need to create world-class incubation facilities in Uttarakhand with requisite physical infrastructure in terms of co-working space, prototyping labs with capital equipment and operating facilities. The incubation facility shall also provide product development and business-planning support, access to seed capital, subject matter experts, corporates, technology support providers, industry bodies, acceleration programs, trainings and capacity building programs along with other relevant components required for establishing innovation driven startup enterprises in the state.

While State Government will encourage establishment of Incubation Centers in all academic institutions and professional educational institutions across the state, the state shall also aim to establish a **"Lead Incubator"** to promote the culture of innovation and entrepreneurship in the state and to nurture innovative startup businesses in their pursuit to become scalable and sustainable enterprises. The "Lead Incubator" shall work as the Hub for the other recognized incubators (spokes) spread in the districts across the state.

1.15. Mentors

Mentor is a person with a proven track record who possess expertise in the area of his/her operations, possess specialize knowledge and carries real world practical experience to guide, mentor and train aspiring entrepreneurs.

1.16. Subject Matter Experts

Subject Matter Expert is a certified professional who has domain expertise, specific skills or knowledge in specific sector and has vast practical experience working in his/her field.

1.17. State Government

For the purpose of this policy, State Government means Government of Uttarakhand

1.18. State Government Agencies

For the purpose of this policy, state government agencies shall include but not limited to the departments, institutions, agencies, authorities, boards or any other bodies including a society, trust, corporation set up under the act of the state legislature or established by Government of Uttarakhand and shall also include urban local bodies.

1.19. Academic Institutions

For the purpose of this policy, academic institutions shall include but not limited to:

(i.) schools, colleges, polytechnics, industrial training institutes (ITIs); or
(ii.) any institution of higher education (HEIs), technical education, medical educations or ayush established by the state or central government; or
(iii.) skill training or vocational training institutes recognized by governments;
(iv.) any open university and/or university established by a State or Central Act; or
(v.) any other educational institution or university that is recognized by the State or Central Government

1.20. Accelerator

Accelerator is an organization or program that enables rapid growth of new Startups by providing specific services like: mentoring, training, resources and networking to help Startups increase their customer base, generate more profits, prepare for funding and professionalize their organization.

1.21. Angel Network

An angel investor (also known as a private investor, seed investor or angel funder) is a high-net-worth individual who provides financial backing to early stage startups or entrepreneurs, typically in exchange of ownership in the form of equity in the company.

An angel network is a group of angel investors who pool their investments together, which is managed professionally for making investments in early stage startups.

1.22. Venture Capital

Venture Capital is a form of equity funding that is generally invested in startups with high growth potential upon critical appraisal of the project undertaken by venture capital firms. The capital is generally invested in return of equity shareholding

1.23. Uttarakhand Startup Council

The Uttarakhand Startup Council shall be the Governing Body comprising of members from Government of Uttarakhand, Incubation Centers, Industry Bodies, Academic Institutions, Corporates, Subject Matter Experts, Nationalized Banks, Financial Institutions, Venture Capital Firms or any other organization having vast experience working in National or International Startup Ecosystem

to advise State Government on the matters related to Startup Policy, Strategic Initiatives focused on promoting innovation and entrepreneurship across the state.

1.24. State Nodal Agency

Directorate of Industries, Department of MSME shall be the State Nodal Agency to fulfill the purpose set out in Uttarakhand Startup Policy 2023 and to look after the activities focused on the implementation of the provisions of Uttarakhand Startup Policy.

1.25. Uttarakhand Startup Cell

A startup cell will be established to take care of the day-to-day operations and activities to be carried out under the Uttarakhand Startup Policy. A dedicated startup Project Management Unit (PMU) adequately staffed with consultants from internationally reputed professional firms shall be on-boarded for supporting State Nodal Agency and Startup Cell.

1.26. Task Force or Committee for Grant of Recognition and Disbursement of Incentives - CoRDI

The state nodal agency shall establish a Task Force or Committee for Grant of Recognition and Disbursement of Incentives (CoRDI) comprising of members from department of State Government, Entrepreneurs, Investors, Banks, Financial Institutions, Academic Institutions, Industry Bodies, Subject Matter Experts, etc.

The Task Force or Committee shall take decisions related to:

(a) Scrutiny and Assessment of the application received for startup recognitions and incentives
(b) Grant of recognition or incentives to the entities which has applied for it
(c) Any other decisions as may be notified by Uttarakhand Startup Council

1.27. Limiting Clause

1.27.1. The startups, incubators and nodal agencies recognized under Uttarakhand Startup policy 2018 shall be eligible to claim incentives only under the Uttarakhand Startup policy 2018 till the 21 February, 2025

1.27.2. Startups and incubators that have availed funding under "Uttarakhand Startup Policy 2018"shall not eligible to claim incentives for the same component under this new policy i.e. "Uttarakhand Startup Policy 2023" and

1.27.3. Startups and incubators that have availed funding under "Uttarakhand Startup Policy 2023" shall not eligible to claim incentives for the same components and/or categories under any other policies or schemes of Government of Uttarakhand

2. INCENTIVES FOR RECOGNIZED STARTUPS

FISCAL INCENTIVES

The fiscal incentives shall be granted in tranches to recognized startups only after proper assessment and evaluations of their startup idea, progress made by the startups since its inception and the requirement of funds submitted by them at the different stages of startups.

2.1. Monthly Allowance

Recognized startup or a startup by student entrepreneurs whose project is approved by the Task Force shall be eligible for a monthly allowance up to INR 15,000 per month per startup

In case of a startup led by women entrepreneurs or by a person from Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Differently Abled, Transgender or a startups which is working towards grassroot innovations or innovations with rural impact or in any startup working on disruptive technologies shall be eligible for a monthly allowance up to INR20,000 per month per startup.

The monthly allowances shall be a one-time assistance given to startups at the ideation stage for a maximum period of twelve (12) months.

2.2. Seed Fund

A recognized startup, which is at the ideation stage or prototyping or MVP stage shall become eligible for a one-time seed funding assistance up to INR 10 lakhs.

In case of startup led by women entrepreneurs or startup by a person from scheduled caste, scheduled tribes, differently abled, transgender or a startups that is working towards grassroot innovations or innovations with rural impact, seed funding assistance up to INR 12.5 lakhs.

An additional seed funding up to INR 2.5 lakhs shall be provided to startups working on disruptive technologies.

2.3. Intellectual Property Rights

All startups will be encouraged to avail incentives, benefits and/or support services for filing of IPR under the policies/schemes formulated by the departments of Government of India.

In other cases, startups can apply for incentives for filing IPR as specified below:

Patent

100 percent Reimbursement of the amount paid and maximum up to INR 1.0 lakh(per patent) for Indian Patent and up to INR 5.0 lakh (per patent) for International Patent can be sanctioned to each startup. Reimbursement will before the expense paid towards Prior Art search, Government Filing Fees, Attorney Fees, Maintenance fees or any other legal fees for filing patent.

Reimbursement of expenses shall be made in two stages

(i.) 75 percent after filing of patent application and

(ii.) 25 percent at the time of grant of patent.

The support shall be for filing two working patents in the area in which the startup recognition is availed.

Trademark

Reimbursement up to INR 10,000 (per trademark) for filing trademark application. Reimbursement shall be for the expense paid towards Trademark Search, Government Filing Fees, Attorney Fees, Maintenance fees or any other legal fees for filing trademark application.

The support shall be maximum for filing two trademark application in the name of the startup for which recognition is availed.

Industrial Design

Reimbursement up to Rs 10,000 (per industrial design) for filing Industrial Design application. Reimbursement shall be for the expense paid towards Government Filing Fees, Attorney Fees, Maintenance fees or any other legal fees for filing design application.

The support shall be maximum for filing two design application in the name of the startup for which recognition is availed.

2.4. Incentives under MSME Policy

Startups eligible under Uttarakhand MSME Policy or any other policies or schemes notified by the state government can avail incentive under the respective policies and/or schemes subjected to complying with the criteria and due procedure specified there under.

However, startups shall not be eligible to claim incentive for the same components and/or categories under any other policies or schemes of Government of Uttarakhand

2.5. Pre-incubation Support

Innovators or aspiring entrepreneurs or women/student entrepreneurs or startups with grassroot impact or innovator/entrepreneurs working in disruptive sector identified by the State Nodal Agency shall be eligible for a one-time free of cost incubation support to provide them mentoring support and handhold them for product development.

Pre-incubation program will be organized through reputed incubation centre or accelerators which shall be identified by State Nodal Agency from time to time. The pre-incubation support shall be a one-time support for a maximum period of four (4) months. The cost up to INR 10,000 per incubate shall be borne by the State Nodal Agency towards the pre-incubation program.

2.6. Incubation Support

All recognized startups shall be eligible for a one-time free of cost incubation support for a period of 12 Months in any recognized incubator subjected to the approval of State Nodal Agency.

Startups working on disruptive technologies shall be provided incubation support for additional 6 months.

The total cost to enroll in the incubation program for the recognized startups in the recognized incubator will be borne by State Government, which is specified in sub-clause 3.3 under clause 3

2.7. Provision of Land in Industrial Area/ IT Parks/SEZ

The State Government shall make provision for allocation of land/space to recognized startups in notified industrial areas, IT Parks, special economic zones (SEZ) or any other state established or support industrial area at the base price.

2.8. National and International Exposure

Subjected to the approval of State Nodal Agency, recognized startups shall be eligible for financial assistance to participate in the reputed national or international, Trade Fairs, Exhibitions, Expositions, Conference, Seminar, Training Programs, Acceleration Programs etc.

Frequency of Assistance	Category of Participation	Assistance
One	International	Reimbursement for the cost incurred towards • traveling in economy class (for one founder/ cofounder) • budget accommodation (for one founder/ cofounder) • stall space • participation fees, if any
Two	National	

2.9. Pilot Projects

Recognized startups shall be eligible for one time assistance up to INR 3 lakhs for undergoing a pilot project for proof of concept, testing and market validation of the product or services with the State Government Agencies. An additional funding support up to INR 2.5 lakhs shall be provided to startups working on disruptive technologies.

The startup should have received letter of intent for undergoing a pilot project from the respective government agency.

2.10. Acceleration Program

The state government shall organize at least two acceleration program each year in partnership with venture capital firms or renowned accelerators or corporate house or any other recognized professional organization having specialization in designing and organizing acceleration program.

2.11. Access to external funding

In order to facilitate access to funding opportunities, the state government will establish a mechanism and/or a platform to provide an opportunity to eligible startups to mobilize funds at convenient terms (e.g. preferential lending, collateral-free lending, soft loans etc.) from external investors, banks, financial institutions, funding bodies, venture capitalists, investment networks etc.

NON-FISCAL INCENTIVES

2.12. Ease of Doing Business

Starting a business involves getting various departmental approval and clearances. Thus, it is very important that state government should work out a plan to minimize the regulatory compliances, punitive actions and provide support /awareness to these propellers of next stage economic growth.

The State Government shall enhance the ease of doing business by minimizing inspections and encouraging self- certifications. All recognized startups shall become eligible for exemption from inspection on self-certification basis for a period of five years from the date of recognition under the following acts:

(i) The Factories Act, 1948
(ii) Shops and Establishment Act,
(iii) The Maternity Benefit Act, 1961
(iv) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act, 1970
(v) The Payment of Wages Act, 1936
(vi) The Minimum Wages Act, 1948
(vii) The Employment Exchange Act, 1959
(viii) Payment of Gratuity Act, 1972
(ix) Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
(x) Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
(xi) The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996
(xii) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979
(xiii) The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952
(xiv) The Employees' State Insurance Act, 1948
(xv) Any other Acts, Rules, Regulations notified in this regard by the state or central government

The exemptions under the above Acts shall be subjected to the complying with the due procedure specified by Startup India, Department for Promotion of Industry and Internal Trade or by the concerned departments of state or central government or under the respective acts, rules or regulations.

2.13. Public procurement

All recognized startups shall become eligible for the exemption in public procurement as specified in Uttarakhand Purchase Preference Policy, Procurement Rules and amendments made there under. All State Government Agencies shall extend the exemptions specified under Uttarakhand Purchase Preference Policy and Procurement Rules (as amended from time to time) made there under to all recognized startups.

All State Government Agencies will be permitted to make direct procurement up to INR 10 lakhs exclusive of GST from recognized startups registered under Uttarakhand Purchase Preference Policy.

2.14. Access to Shared Facilities

The State Government will make arrangements to provide free access to the resources in the State Universities, Government Laboratories, Center of Excellence, Libraries or any other shared facilities which may be neededfor the development of innovative idea/concepts and/or products and services by recognized startups.

2.15. Pro Bono Services

The State Government will establish partnerships with professional organizations, corporates, or with other organizations and service providers for providing training and mentoring such as Land D modules, tools and templates for investor pitch decks, etc. and handholding support such as accountancy, legal, human resource, cloud services etc. to facilitate and provide support to startups in development of products or services.

2.16. Skilled Human Resource

In order to support startups to recruit skilled and unskilled human resource, the State Government will establish a mechanism wherein the human resources can be recruited through polytechnics, industrial training institute, skill training and vocational training institutes, Uttarakhand Skill Development Mission, academic institutions etc.

2.17. Resolution of issues or grievances

State Government will establish a unified web platform that will allow identification of issues or grievances of startups, incubators, investors, aspiring entrepreneurs and will establish a mechanism for the resolution of issues or grievances in a time bounded manner.

All State Government Agencies shall also establish an online mechanism for the identification and resolutions of issues or grievances of startups, incubators, investors, aspiring entrepreneurs and other ecosystem players, which are related to the respective agencies.

2.18. Public consultations on the policies & schemes

The state government will establish a mechanism to consult startups on the policies, schemes rules, regulations, government orders etc. made by the State

Government Agencies to take in to consider their suggestions while formulating them.

The startups working in the disruptive sectors such as GPS systems, Artificial Intelligence, Machine Learning, Cyber security, Blockchain, Big Data, Fintech, Transport, Urban mobility, eVehicle, Biotech, Healthcare, E-Pharmacy, Civil Aviation, Waste Recycling, Space Technologies, Drones, Robotics Tourism, Travel Tech, Renewable energy, Climate Change, Disaster Management, Medical Devices, Circular Economy, Sustainability etc. shall be consulted by the State Government Agencies while formulating policies, schemes rules, regulations, government orders etc. made for the startups respective sector.

3. INCENTIVES FOR INCUBATORS

3.1. Lead Incubator

The state government shall establishment of world-class incubation centers or Center of Excellences (CoEs) in the sectors such as manufacturing, transport, energy, health, education, agriculture, water and sanitation etc. in Uttarakhand. These objective of this incubation centers and/or CoEs shall be to encourage innovative technology based startups or startups that are solving grassroot challenges that have an application and/or impact in the core sectors of the economy.

3.2. Capital Grant for Incubation Centers

The state government will strive to establish state of the art incubation centers in partnership with Corporates, Nationally or Internationally recognized Professional organizations, Accelerators etc. on public private partnerships. The incubation centers approved and recognized by Uttarakhand Startup Council shall become eligible for a one time Capital Grant except the cost of land and building:

Descriptions	Quantum of Support	Extent of Assistance
Setting up of new incubation centers	up to INR 1 crore	maximum 50 percent of the amount proposed be spent
Expansion of existing incubation centers	up to INR 50 Lakhs	maximum 50 percent of the amount proposed be spent

The capital grant shall be disbursed on year on year basis subjected to the annual budget plan submitted by the applicant and approved by the Uttarakhand Startup Council. The applicant shall clearly define the business model for running the incubation center along with the annual budget plan submitted while making application and it shall become self-sustainable in a period of five years.

3.3. Operational Grant for Incubation Centers

Incubators recognized by Uttarakhand Startup Council shall become eligible for reimbursement up to Rs 1.00 Lakh per Startup to cover the cost of providing incubation support to startups as specified in sub-clause 2.6 of clause 2. An additional one-time assistance up to INR 5 lakhs can be provided to the recognized incubation centers subjected to the approval of the Uttarakhand Startup Council on case-to-case basis.

The recognized incubation centers shall be eligible for the operational grant once they have come in to operation and have started incubating startups recognized by council. The operation grant shall be for a maximum period of 5 years starting from the date on which written communicating is received by the State Nodal State from the incubation center of coming in to operation. Incubators shall physically incubate recognized startup at least for a period of 12 months and maximum for a period of 18 months.

The incubation center shall submit to the State Nodal Agency the quarterly report of the progress made by the incubatee startups in the formats specified.

3.4. Incubation Centers in Academic Institutions

Universities, Institution of Higher Education, Technical Educations, Medical Education, Polytechnics, colleges, schools etc. shall strive to set up a basic incubation facility along with prototyping labs and resources such as geographical resources, hard and soft infrastructural resources, process and pedagogy linked resources and sectoral systems within their campus.

Each incubation center shall also establish Student Innovation and Entrepreneurship Council (SIEC), employ human resources to look after the council, assign a senior competent authority for coordination of such a facility to develop action agendas for short and long term

Subject to the maximum cap specified in the below table, the fiscal support to academic institutions established by the State or Central Government will be up to 100 percent of the proposed budget and up to 50 percent of the proposed budget for the privately established academic institutions.

Fiscal Support	**Universities**	**Institutions& Colleges**	**Polytechnic, ITIs, Schools etc.**
Capital Grant for setting up of new incubation centers	Up to INR 1 Crore	Up to INR 30lakhs	Up to INR 20 lakhs
Capital Grant for expansion of existing incubation centers	Up to INR 50 Lakhs	Up to INR 20lakhs	Up to INR 10 lakhs

Operational grant	As specified in sub-clause 3.3 of clause 3	As specified in sub-clause 3.3 of clause 3	As specified in sub-clause 3.3 of clause 3

4. PROMOTING ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIA

4.1. Entrepreneurship Development Cells (eCells)

All academic institutions established by state government or under the Acts enacted by the state legislature shall establish Entrepreneurship Development Cells (eCells) and all privately established academic institutions will be encouraged to establish Entrepreneurship Development Cells (eCells) to create awareness and encourage students towards entrepreneurship within their campus. The academic institutions shall appoint a Startup Nodal Officer to look after the day to day operations of the eCells.

All eCells shall be affiliated with Startup Uttarakhand for organizing activities focused on entrepreneurship throughout the year. All eCells shall organize Startup boot camps, Business plan competitions, Startup pitch fest, Idea challenges, Grand challenge, Hackathons, etc., in association with Startup Uttarakhand, for the students who are willing to take up entrepreneurship.

eCells affiliated with Startup Uttarakhand shall be eligible for the financial assistance up to INR 1.00 lakhs per programs for meeting the expenses towards conducting programmes

4.2. Student Startup Entrepreneurs

Student entrepreneurs working on innovative startup ideas which is approved by the State Nodal Agency shall be eligible for pre-incubation support as specified in the sub-clause 2.5 of clause 2 and monthly allowance as specified in the sub-clause 2.1 of clause 2. The student entrepreneurs in the graduation and post-graduation will be permitted to convert their start-up project as their interim project or final year project required for the award of their degree.

Startup Uttarakhand will establish mechanism to facilitate student entrepreneurs for preliminary mentoring to do preliminary research for validation of idea, prototyping, MVP, field-testing, market research and filing IPR from time to time.

4.3. Syllabus on Entrepreneurship

All academic institutions shall formulate a Student Startup and Innovation Policy along with action plan and well-defined short-term and long-term goals,

which should be in line with the Uttarakhand Startup Policy, 2023 and National Innovation and Startup Policy, 2019

Entrepreneurship promotion and development should be one of the major dimensions of the academic institution's strategy. The State Nodal Agency shall design and develop a curriculum focused on entrepreneurship development.

All academic institutions shall update their curriculums to include the course on "Entrepreneurship Development" as an optional subject to make students aware and encourage them to take entrepreneurship as their carrier option.

All Academic Institutions shall also organize, at least one dedicated course focused on "Innovation and Entrepreneurship Development" for the identified students, in association with Uttarakhand Startup Cell as a part of the summer camp program.

4.4. Inclusion of Massive Open Online Course (MOOCs) in curriculum

Various nationally and internationally accredited Massive Open Online Courses focused on innovation and entrepreneurship or any other MOOCs designed and approved by the State Government will be made available on startup portal.

These MOOCs may be taken by the aspiring student entrepreneurs as elective subjects and may be assigned to them depending upon their interest.

4.5. Training of trainers

Innovation and entrepreneurship can propel the youth towards breakthrough discoveries. The role of teachers, faculties and mentors becomes very important in guiding youth towards entrepreneurship. Strong emphasis will be put on training the teachers, faculties, government officials on the development in area of entrepreneurship by industry veterans, corporate and subject matter experts from startup ecosystem.

Financial assistance up to INR 1.00 lakhs per year per program per institution for organizing training and capacity programs focused on Startups for the resource person in academic institutions and state government agencies.

4.6. Faculties as Mentor of Startup

Faculties in all academic institutions would be encouraged to take time off to work as a mentor with the aspiring students entrepreneurs at the incubator center or Entrepreneurship Development Cells (EDCs) for a stipulated time, after which they can join back to their normal work.

4.7. Partnership between industry and academia

Industry - Academia collaboration is vital for a sustainable ecosystem where both the industry and academia flourish. Partnerships with industry and corporates are very instrumental in advancing the research projects, catalyzing innovations and growth of technologies and for the creation of skilled workforce.

The state government will establish a mechanism to enable partnership between industry and academic institutions.

4.8. Commercialization of innovation in academic institutions

Cultivating the culture of innovation and entrepreneurial and providing timely support to start-ups, indeed, forms the rock-solid foundation for a progressive economy. Creating next-generation start-ups is the need of the hour. The research advances being made by academic institutions such as universities, schools, colleges, polytechnics, industrial training institute (ITIs), institutions of technical education, medical educations etc. can play a very important role in creation of next generation startups.

All academic institutions in Uttarakhand will be encouraged to provide access to research & development (R&D) projects, patented ideas or any other projects that has commercial value to aspiring student entrepreneurs, startups and member from industries with an objective to translate academic research discoveries into successful commercial ventures.

The aim is to benefit both research and business and to create new value as the new technology is put into use.

5. GENERAL PROVISIONS

5.1. Institutional Support

(i) Start-up Portal & Mobile App

The state government will upgrade the Uttarakhand Startup Portal and App as per the need to provide access to all information related to the startup policy, government notifications, applications for recognition and incentives etc. through Startup Portal.

(ii) Dedicated Helpline

A dedicated helpline to provide handholding support all startup related queries will be established in English and Hindi. The helpline shall assist in addressing all queries in areas such as registering a business, raising funds/loans, policy clarifications, etc.

5.2. Fab lab or Makers Lab or Prototyping lab

A provision of funds shall be made for setting up of the fab lab, makers labs or common facility centers having modern facilities for product development, testing and validation, internet connectivity and other facilities required by innovators, startups, innovators. State Government will ensure establishment of at least two labs in the regions identified by State Nodal Agency.

5.3. Flagship Programs

To attract youth and motivate them to solve complex problems by taking up entrepreneurship, the State Nodal Department and the departments, agencies, bodies, corporations, urban local bodies, authorities and entities established by State Government shall

(a) organize at least two national program such as Uttarakhand Innovation Week, Startup Tech fest, Startup Fundraising event, Uttarakhand Startup Conclave etc. in two different regions of Uttarakhand

(b) organize district wise startup boot camps and at least one Idea Challenges, Grand Challenges, Rural Innovation Challenges, Hackathons etc. to seek out fresh ideas and projects from innovators from across the state

(c) organize at least one program to provide market access to startups such as Uttarakhand Startup Exposition, Startup Product Showcase, Demo Day/Demand Day, B2G & B2B programs etc.

Annually, top twenty innovative startup ideas selected through a rigorous process during the challenges/competitions shall be provided seed fund of INR 2.0 lakhs which shall be in the form of grant in aid and incubation support along with publication of their success stories.

5.4. Sensitization Programs

In order to create awareness and create the culture of innovation and entrepreneurship across the state, the State Nodal Agency shall organize startup sensitization programs to guide, train and handhold aspiring entrepreneurs, incubators, investors, mentors, members from industry, professionals and other ecosystem enablers covering all the districts of the state.

5.5. Funds of Funds or Venture Fund

A fund of funds with a corpus of INR 200 crore shall be allocated for investing in venture funds that invest in startups with an objective to provide them scale up fund in the form of equity funding to enable them to develop and growth their enterprises. A professional fund manager shall be selected through open bidding process for the operation and management of the funds. A portion of the funds of funds can be used to setup the critical infrastructure in the lead incubator in the state.

The State Government Agencies can also establish sector specific venture fund from their budgets to invest in innovative and/or technology oriented startups in exchange of equity.

5.6. Establishment of Angel Network

The Government of Uttarakhand will sensitize industrialists, professionals, individual investors, high net-worth individuals (HNIs), non-resident indian (NRIs), social impact investor groups' to establish Angels Network (Uttarakhand Angels) to enable an alternative source of early stage funding for startups operating from Uttarakhand.

5.7. Activities to be undertaken by State Government Agencies

All State Government Agencies shall

(i) formulate startup policies which shall clearly define the annual plan for providing institutional support to startups in the form of sustainable programs, hackathons, grand challenges, incubation support, mentoring support, funding support, public procurement, venture funding, open data APIs and other sustainable programs

(ii) established startup help desk and appoint a nodal officer to look after its operation and management in order to provide them required guidance and handholding to aspiring startup entrepreneurs

(iii) establish partnerships with corporates, industry associations or professional organizations to provide technical support, mentoring and other support to recognized startups

(iv) organize training and capacity building programs for the government officials to guide, mentor and train them on the nuances of startups

(v) establish an online mechanism for the identification of the issues or grievances related to it and addressal of the same in time bounded manner

(vi) provide opportunities to recognized startups in the form of opportunity to undergo pilot project through grand challenges, idea challenge, demo day/demand day, innovation day etc. to enable them to test and validate their product and services

(vii) provide relaxation as specified in Uttarakhand Purchase Preference Policy, Procurement Rules to all recognized startups in all public procurements

(viii) make a consultation with startups to take their suggestions on the changes to be made in the existing or in any new schemes, policies, rules, regulations, government orders etc. of the respective State Nodal Agencies in order to address the challenge faced by them

(ix) enable hassle free and time-bounded statutory clearances to startups

(x) organize annual programs as specified in sub-clause 5.2 of clause 5

(xi) any other activities as my be specified by the state government from time to time

5.8. Hackathons or Idea Challenge

In order to find solutions to the complex problems, each year, the State Government Agencies shall identify a problem area or challenges from their respective sectors and invite all startups to develop innovative solutions to solve those problems.

The solutions so designed and developed by the startups and selected through a rigorous selection process shall be awarded an initial grant and may be taken up for implementation as a pilot project at an appropriate scale in the respective department, agencies, or bodies, corporations, authorities, urban local bodies or other entities.

The provision of funds for organizing the hackathon/idea challenge/innovation challenge and for giving an opportunity to the winning ideas to undergo pilot project shall be made by the respective State Government Agencies.

5.9. Encouraging Entrepreneurship among Women

All State Government Agencies shall design and implement programs and initiatives in their respective areas to encourage women in entrepreneurship and establish a mechanism to guide, support and mentor women startups. At least two programs focused on women shall be organized in a year for their capacity building. The concerned Departments, agencies, bodies shall make a provision of funds for the same from their own budget.

All State Government supported incubators shall allocate minimum 15 percent seats for startups led by recognized startups led by women.

5.10. Capacity Building Programs

Every year, the State Nodal Agency shall organize capacity-building workshops for government official, startups, incubators, angel investors and other key stakeholders of startup ecosystem to sensitize over the recent developments in the startup ecosystem across the world

5.11. District Innovation Committee

A District Innovation Committee shall be established under the chairmanship of District Magistrate in each district of Uttarakhand involving members from Industries, Nationalized Banks, and Industry Bodies. The District Innovation Committee shall oversee the implementation of the startups policy in their respective districts and organize awareness programs to develop the culture of innovation and entrepreneurship.

Each district shall establish Startup Help Desk at the District Industries Center to provide guidance, handholding support, mentoring support etc. to aspiring startup entrepreneurs and shall notifying a nodal officer for the same to State Nodal Agency.

The district innovation committee shall looks after

(1) implementation of startup policy at the district level
(2) prepare an startup action plan, processes and mechanisms for nurturing of Startups/enterprises in each district of Uttarakhand to
    (a.) providing handholding support to aspiring startup entrepreneurs
    (b.) identify innovative startups from the respective districts
    (c.) enable them to get incubation support and mentoring support
    (d.) provide an opportunity to undergo pilot project in the respective district through state government agencies, corporates etc.
    (e.) preference in public procurement and related exemptions
    (f.) facilitate to access funds from investors, venture capitalists etc.
    (g.) organize programs focused on district innovation
    (h.) any other activities specified by state government
(3) establish partnerships with corporates, industry associations or professional organizations to provide technical support, mentoring and other support to recognized startups
(4) simplify procedures and processes for getting the government clearances, licenses etc.
(5) establishment of mechanism for identification of issues or grievance of startups at district level

(6) organize programs in academic institutions to promote entrepreneurship among students, women etc.

(7) organize sensitization programs for government officials, industry members, mentors and other ecosystem enables on the nuances of startups

5.12. District Innovation Programs

In order to create awareness and to identify grassroot innovations and budding startup entrepreneurs, the District Innovation Commit

tee shall organize focused programs such as

(i) B-plan competitions
(ii) Grand challenges / idea challenge
(iii) Hackathons
(iv) Startup Showcase Days/B2G meets
(v) Demo Day/Demand Day etc.
(vi) Buyer-Seller Meets

in the respective districts of Uttarakhand in association with state government agencies, academic institutions, industry bodies, corporates, financial institutions etc.

5.13. Corporate Innovation Programs (CIPs) for Market Access:

With an aim to widen the scope of private sector market access for startups in Uttarakhand, State Nodal Agency will organize partnership-based programs with corporate to facilitate State, National and International level exposure to startups. The state government shall make provision of requisite funds for organizing CIPs.

5.14. Review of the Policy

State Government shall formulate a committee to review this policy once in two year to critically appraise the usefulness of the policy, the ease of implementation and the outcomes achieved. The report shall be placed before the Uttarakhand Startup council for its decision.

5.15. Grant of incentives and benefits under this Policy

Startups or incubators which are recognized under this Policy shall be eligible for claim the benefits under this for a period of three years after expiry of this Policy